पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

वर्ष 2015–16 के लिए

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

© भारत के नियंत्रक – महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.aghry.nic.in

सत्यमेव जयते

पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 के लिए

हरियाणा सरकार

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		**v**
ओवरव्यू		**vii**
भाग क: पंचायती राज संस्थाएं		
अध्याय – 1		
पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल		
प्रस्तावना	**1.1**	**1**
लेखापरीक्षा व्यवस्था	**1.2**	**1**
पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा	**1.3**	**3**
वित्तीय प्रोफाइल	**1.4**	**5**
लेखांकन व्यवस्था	**1.5**	**7**
लेखापरीक्षा व्याप्ति	**1.6**	**7**
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद	**1.7**	**7**
अध्याय – 2		
पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम		
इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों को पूर्ण न करना	**2.1**	**9**
निधियों का विपथन	**2.2**	**9**
मजदूरियों का भुगतान करने में विलंब	**2.3**	**10**
भूतपूर्व सरपंचों और पंचों से शेषों की अवसूली	**2.4**	**10**
बिजली उपकरणों की अनियमित खरीद	**2.5**	**11**
गृह कर का बकाया	**2.6**	**12**
भाग ख: शहरी स्थानीय निकाय		
अध्याय – 3		
शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल		
लेखापरीक्षा व्यवस्था	**3.1**	**13**
शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा	**3.2**	**14**
वित्तीय प्रोफाइल	**3.3**	**16**
लेखांकन व्यवस्था	**3.4**	**17**

विवरण	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
लेखापरीक्षा व्याप्ति	**3.5**	**18**
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद	**3.6**	**18**
अध्याय – 4		
शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम		
अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास की स्कीम	**4.1**	**19**
नगरपालिकाओं द्वारा राजस्व संग्रहण सहित स्वयं की निधियों का प्रबंधन	**4.2**	**23**
सेवा कर से छूट का लाभ न उठाना	**4.3**	**29**
किराया प्राप्तियों पर सेवा कर की अवसूली	**4.4**	**30**
विज्ञापन के लिए स्थान के विक्रय पर सेवा कर की अवसूली के कारण हानि	**4.5**	**30**
मानवशक्ति आपूरित करने वाली एजेंसियों को ई.पी.एफ. का अधिक भुगतान	**4.6**	**31**
सोलिड वेस्ट प्रबंधन से संबंधित अनियमितताएं	**4.7**	**31**
मस्टर रोल्ज का अनुचित रख–रखाव और जाली भुगतान	**4.8**	**34**
निधियों का विपथन	**4.9**	**34**

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.	राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	37
2.	राज्य में जिला परिषदों में स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति	1.3.2	38
3.	नमूना-जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत की सूची	1.6	39
4.	मनरेगा के अंतर्गत मजदूरियों के भुगतान में विलंब दर्शाती विवरणी	2.3	41
5.	भूतपूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि के ब्योरे	2.4	42
6.	2011-16 के दौरान नगरपालिकाओं को अधिक एवं कम जारी की गई निधियों के ब्योरे	4.1.2.1	43
7.	जारी की गई निधि, व्यय तथा शेष के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.1.2.2	45
8.	फरीदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र में अनधिकृत क्षेत्र/कालोनी में निष्पादित विकास कार्यों के ब्योरे	4.1.3.1	46
9.	निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब हेतु पेनल्टी के अनुद्ग्रहण के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.1.3.3	48
10.	2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान बजट अनुमान, वास्तविक वसूली तथा स्वयं की निधि की प्रतिशतता को दर्शाती विवरणी	4.2.2.1	50
11.	फायर टैक्स सहित संपत्ति कर की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.2.2.2	52
12.	नगर निगम, पंचकुला द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों पर लाईसैंस फीस के अनुद्ग्रहण के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.2.2.4	53
13.	विकास शुल्क की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.2.2.5	54
14.	ए.टी.एम. के डिश-एंटीना के संस्थापन एवं संचालन फीस की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी	4.2.2.6	55
15.	एकत्र न किए गए सेवा-कर के ब्योरे	4.4	56
16.	किराया प्राप्तियां तथा उनके विरूद्ध सेवा कर विभाग द्वारा काटे गए सेवा कर को दर्शाती विवरणी	4.5	57
17.	भुगतान किए गए ई.पी.एफ. के नगरपालिका-वार अधिक भुगतान दर्शाती विवरणी	4.6	58
18.	बोगस मस्टर रोल्ज पर संदेहपूर्ण भुगतान दर्शाती विवरणी	4.8	59
19.	सहायता अनुदान निधियों के विपथन दर्शाती विवरणी	4.9	60

प्राक्कथन

मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आईज) तथा शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) की लेखापरीक्षा हेतु तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग के निबंधनों के अनुसार हरियाणा सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों की संबंधित विभागों सहित लेखापरीक्षा के महत्त्वपूर्ण परिणाम इस प्रतिवेदन में शामिल हैं।

2015-16 की अवधि हेतु नमूना-लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए मामलों के साथ-साथ वे मामले भी, जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे किंतु पिछले प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे, जहां कहीं आवश्यक थे, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

ओवरव्यू

यह रिपोर्ट दो भागों में है और इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय 1 और 2 से समायुक्त भाग-क, पंचायती राज सस्थाओं (पी.आर.आईज) तथा अध्याय 3 और 4 से समायुक्त भाग-ख, शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं।

पंचायती राज सस्थाओं (पी.आर.आईज) का प्रोफाइल

वर्तमान में, राज्य में 21 जिला परिषद (जि.प.), 126 पंचायत समितियां (पं.स.) और 6,205 ग्राम पंचायतें (ग्रा.प.) हैं। पी.आर.आई. का समग्र नियंत्रण विकास और पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के निदेशकों के माध्यम से अपर प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग के पास है। 73वें संवैधानिक संशोधन ने पी.आर.आई. को संवैधानिक दर्जा दिया। राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया तथा इन संस्थाओं को, सरकार के तीसरे स्तर के रूप में कार्य करने हेतु समर्थ बनाने के लिए हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 तथा हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण कार्य) नियम, 1996 बनाए। 5 जिला परिषदों, 22 पंचायत समितियों और 157 ग्राम पंचायतों के 2010-15 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की नमूना-जांच वर्ष 2015-16 के दौरान की गई। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे उल्लिखित हैं:

(अध्याय 1)

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा की विशिष्टताएं

महम ब्लॉक में, 84 लाभग्राहियों, जिन्हें इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) के अंतर्गत ₹ 40.95 लाख की सहायता दी गई थी, ने अपनी आवासीय इकाइयां पूर्ण नहीं की थी।

(अनुच्छेद 2.1)

रतिया ब्लॉक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत ₹ 4.44 करोड़ की राशि की मजदूरी के भुगतान में विलंब 15 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य श्रृंखलित था।

(अनुच्छेद 2.3)

बारह ब्लॉकों में 65 भूतपूर्व संरपचों तथा पंचों से ₹ 23.06 लाख की राशि वसूल नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 2.4)

शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) का प्रोफाइल

वर्तमान में, राज्य में 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद और 52 नगरपालिकाएं हैं। यू.एल.बी. का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास है। 74वें संवैधानिक संशोधन ने यू.एल.बी. को संवैधानिक दर्जा दिया। 74वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु यू.एल.बी. को शक्तियों और जिम्मदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 बनाए। 36 यू.एल.बी. (6 नगर निगमों,

12 नगर परिषदों और 18 नगरपालिकाओं) के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना-जांच की गई थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम नीचे वर्णित हैं:

(अध्याय 3)

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा की विशिष्टताएं

अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास की स्कीम की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि स्कीम के अंतर्गत निधियां एस.सी. जनसंख्या के विस्तार की बजाय कुल जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं के मध्य वितरित की गई थी। विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त निधियों का 52 प्रतिशत (₹ 47.38 करोड़) नगरपालिकाओं के पास अव्ययित पड़ा रहा। इसके अतिरिक्त, फरीदाबाद में अनधिकृत कालोनियों में ₹ 2.68 करोड़ का व्यय किया गया।

(अनुच्छेद 4.1)

नगरपालिकाओं द्वारा स्वयं की निधियों के प्रबंधन की लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि राजस्व के संग्रहण के लिए व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि करों, शुल्कों और फीस जैसे संपत्ति कर, बिजली की खपत पर कर, विकास शुल्क, ए.टी.एम. डिश एंटीना प्रतिस्थापन फीस तथा विभिन्न व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों की लाईसेंस फीसों के भारी बकाया थे। अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.2)

आठ नगरपालिकाओं ने सेवा कर की छूट का लाभ नहीं उठाया परिणामस्वरूप ₹ 64.47 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

(अनुच्छेद 4.3)

आठ नगरपालिकाएं, दुकानों/बूथों के किराए की प्राप्ति पर ₹ 1.31 करोड़ का सेवा कर उद्ग्रहण करने में विफल रहीं।

(अनुच्छेद 4.4)

दो नगरपालिकाओं द्वारा ई.पी.एफ. अंशदान के रूप में ₹ 11.09 लाख की राशि का अधिक भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 4.6)

नगर निगम, गुड़गांव तथा फरीदाबाद के लिए ₹ 78.95 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया संयुक्त सोलिड वेस्ट प्रबंधन प्लांट अक्तूबर 2013 से अक्रियाशील था जबकि नगर निगम, यमुनानगर-जगाधरी में ₹ 11.28 करोड़ की लागत पर पूर्ण किया गया संयंत्र दिसंबर 2014 से अक्रियाशील था।

(अनुच्छेद 4.7)

विकास कार्यों के लिए प्रदान की गई ₹ 11.87 करोड़ राशि की निधियां सात नगरपालिकाओं द्वारा वेतनों, बकाया, स्टॉफ के भत्तों, मजदूरी और लेखापरीक्षा फीस के भुगतान के लिए विपथित की गई थी।

(अनुच्छेद 4.9)

भाग कः पंचायती राज संस्थाएं

भाग – क: पंचायती राज संस्थाएं

अध्याय – 1

पंचायती राज संस्थाओं का प्रोफाइल

1.1 प्रस्तावना

73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को संवैधानिक दर्जा दिया और समरूप ढांचे, नियमित चुनावों तथा वित्त आयोगों के माध्यम से निधियों के नियमित प्रवाह की प्रणाली स्थापित की। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में राज्यों द्वारा इन निकायों को ऐसी शक्तियां, कार्य और दायित्व सौंपने अपेक्षित थे ताकि ये स्थानीय स्वयं शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ हों। विशेष रूप से, पी.आर.आई. द्वारा भारतीय संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों से संबंधित योजनाओं सहित आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय हेतु योजनाएं तैयार करना और स्कीमों को कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित था।

राज्य सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 बनाया और हरियाणा पंचायती राज नियम, 1995 और हरियाणा पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, लेखापरीक्षा, कराधान और निर्माण कार्य) नियम, 1996 तैयार किए ताकि ये संस्थाएं सरकार के तृतीय स्तर के रूप में कार्य करने में समर्थ हो सकें। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) और पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.), भारत सरकार (भा.स.) द्वारा यथा निर्धारित लेखांकन ढांचा राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया है तथा वार्षिक लेखे (प्राप्तियां और व्यय) पंचायती राज संस्थाओं द्वारा तदनुसार अनुरक्षित किए जाने हैं।

1.2 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.), हरियाणा एक सांविधिक लेखापरीक्षक है तथा पी.आर.आई. इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए उत्तरदायी है। लेखापरीक्षा करने के पश्चात् निरीक्षण रिपोर्टें (आई.आर.) संबंधित पी.आर.आई. को जारी की जाती हैं।

ग्याहरवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) द्वारा सिफारिश की गई कि पी.आर.आई. के सभी तीनों श्रेणियों/स्तरों हेतु लेखाओं के समुचित अनुरक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सी.ए.जी. को सौंपा जाना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) ने आगे सिफारिश की कि राज्य विधान सभा के सम्मुख सी.ए.जी. की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जानी चाहिए। टी.एफ.सी. की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकार ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत पी.आर.आई. की नमूना-लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सौंप दी (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि सी.ए.जी. के वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (ए.टी.आई.आर.) तथा स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.) के वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान सभा को प्रस्तुत किए जाएंगे। चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) ने भी सिफारिश की कि सी.ए.जी. द्वारा निरंतर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) व्यवस्थाएं जारी रखी जानी चाहिए तथा

लेखाओं का संकलन और समय पर उनकी लेखापरीक्षा करवाने के लिए स्थानीय निकायों को सुविधा प्रदान करने हेतु राज्यों को कार्रवाई करनी चाहिए।

राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2013, 10 मार्च 2015, 4 सितंबर 2015 तथा 29 अगस्त 2016 को राज्य विधानसभा के समक्ष क्रमश: वर्ष 2009-11, 2011-13, 2013-14 तथा 2014-15 के ए.टी.आई.आर. प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2014-15 का वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 31 अगस्त 2015 को प्रस्तुत किया गया था। ए.टी.आई.आरज पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया है (मई 2014)।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, पंचायती राज संस्थाओं में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पी.आर.आई. के प्राइमरी एक्सटर्नल लेखापरीक्षक अर्थात् स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) प्रदान कर सकते हैं। ऐसे टी.जी.एस. के मापदण्ड, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 की धारा 152 से 154 में दिए गए हैं।

स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.) को तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के कार्य के अनुसरण में इस कार्यालय ने निम्नलिखित उत्तरदायित्व लिया है:

- नगरपालिका की लेखापरीक्षा एल.ए.डी. द्वारा पूर्व लेखापरीक्षा आधार पर की जा रही थी। जिला परिषद और पंचायत समितियों की लेखापरीक्षा वार्षिक तौर पर पश्च-लेखापरीक्षा के आधार पर की जा रही थी। ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा लेखापरीक्षकों द्वारा द्विवर्षीय की जा रही थी। जी.पीज स्तर पर व्यय की जा रही भारी निधियों को ध्यान में रखते हुए, जी.पीज की लेखापरीक्षा अधीनस्थ लेखा सेवाएं (एस.ए.एस.) कार्मिकों द्वारा करवाने के लिए राज्य सरकार को एडवाईजरी जारी की गई (जुलाई 2014)। यद्यपि राज्य सरकार ने जी.पीज की लेखापरीक्षा एस.ए.एस. कार्मिकों द्वारा वार्षिक तौर पर करवाने का निर्णय लिया था। तथापि, कुछ जी.पीज की लेखापरीक्षा अभी भी फरवरी 2017 तक नॉन-एस.ए.एस. पास कार्मिकों के माध्यम से संचालित की जा रही थी।

- एक संरचनात्मक सूचना फॉर्मेट, जिसमें उद्देशिका प्रमाणों के साथ मामले के तथ्य, सही एवं उपयुक्त आदेशों/नियमों को उद्धृत करते हुए, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को संरचित करके, लेखापरीक्षित संस्था के उत्तर को शामिल करके तथा निष्कर्ष निकाल कर और सिफारिशें शामिल हों, का अनुसरण करके एल.ए.डी. की सूचना प्रणाली में सुधार हेतु सुझाव दिए गए थे (जून 2015)। इस कार्यालय द्वारा नगर निगम, करनाल, यमुनानगर तथा नगर परिषद, फतेहाबाद के अप्रैल 2013 से मार्च 2015 की अवधि के लिए और नगर समिति, महेन्द्रगढ़ के अप्रैल 2012 से मार्च 2015 की अवधि के लिए जारी निरीक्षण प्रतिवेदन एल.ए.डी. को उदाहरण सहित नमूनों के तौर पर भेजे गए (मार्च 2016)। तथापि, इन सुझावों का दिसंबर 2016 तक अनुसरण नहीं किया गया था।

- इस कार्यालय ने जुलाई 2014 में एल.ए.डी. को गंभीर अनियमितताओं जैसे प्रणालीगत कमी, नियमों एवं विनियमों की गंभीर उल्लंघना तथा धोखाधड़ी/गबन पर निर्धारित रिटर्नें प्रस्तुत करने के लिए कहा है। एल.ए.डी. ने जून 2016 में 'शून्य' रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय सूचित

किया कि कोई गंभीर अनियमितताएं नहीं देखी गई। तथापि, इसके विपरीत लेखापरीक्षा ने देखा कि एल.ए.डी. द्वारा गबन/निधियों के दुर्विनियोजन, कम वसूली/अवसूली/राजस्व की हानि तथा अधिक/परिहार्य व्यय जैसी गंभीर अनियमितताओं का पता लगाया गया, जिन्हें समुचित अनुवर्तन के लिए रिटर्नों में शामिल नहीं किया गया।

- तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसके अनुसरण में इस कार्यालय ने मार्च 2016 में ''यू.एल.बीज के वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा (प्रमाणीकरण लेखापरीक्षा)'' तथा ''लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की ड्रॉफ्टिंग/रिपोर्टिंग'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

1.3 पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 21 जिला परिषदें, 126 पंचायत समितियां और 6,205 ग्राम पंचायतें हैं। जिला परिषद् (जैड.पी.), पंचायत समिति (पी.एस.) और ग्राम पंचायत (जी.पी.) स्तर पर राज्य सरकार, पंचायती राज विभाग और पंचायती राज संस्थाओं का संगठनात्मक ढांचा नीचे दर्शाया गया है:

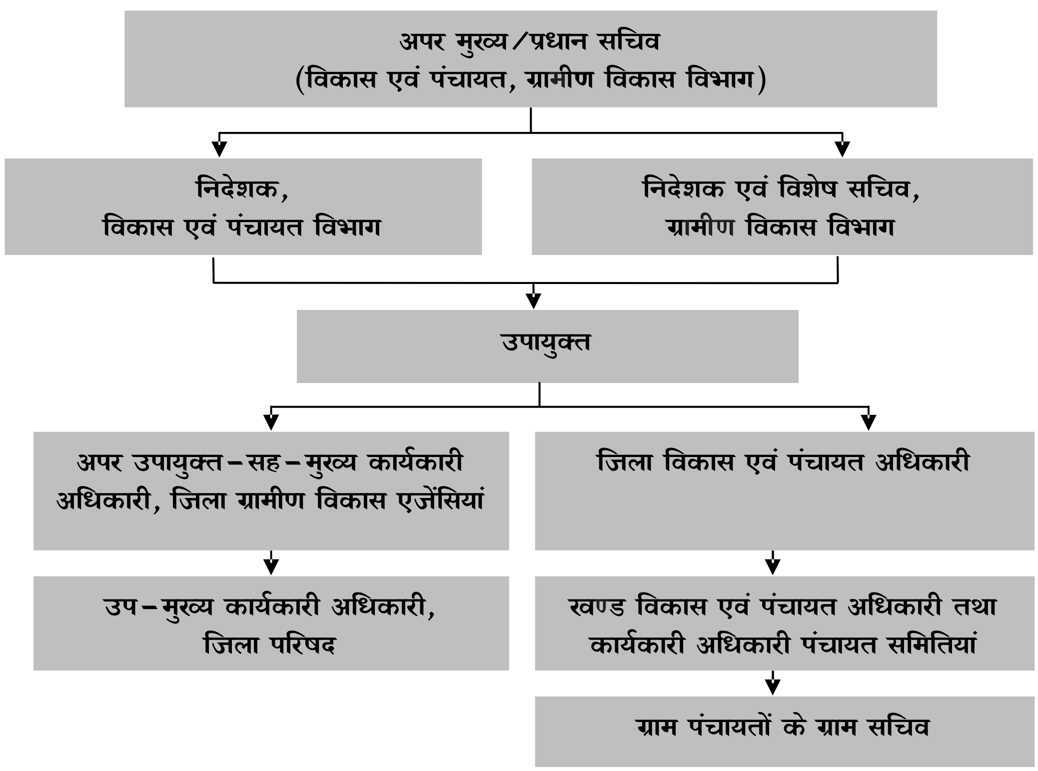

जिला परिषद् के अध्यक्ष, पंचायत समिति के सभापति और ग्राम पंचायत के सरपंच चुने गए सदस्य होते है तथा क्रमशः जिला परिषद्, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के मुखिया होते हैं।

1.3.1 स्थाई समितियां

पी.आर.आई. ने सौंपे गए कार्यों को करने के लिए स्थाई समितियां गठित कीं। पी.आर.आई. की स्थाई समितियों के ब्यौरे **तालिका** 1 में दिए गए हैं।

तालिका 1: स्थाई समितियों की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

पी.आर.आई. का स्तर	स्थाई समिति का मुख्य	स्थाई समितियों के नाम	स्थाई समिति की भूमिका तथा उत्तरदायित्व
पंचायत समिति	सभापति	सामान्य स्थाई समिति	स्थापना मामलों, संचार, भवन, ग्रामीण आवास, ग्राम विस्तार तथा राहत विषयों को देखती है।
		वित्त, लेखापरीक्षा और आयोजना समिति	पंचायत समिति के वित्त, बजट तैयार करना और सहकारिता, लघु बचत योजना तथा खंड की विकास योजना से संबंधित किसी अन्य कार्य को देखती हैं।
		सामाजिक न्याय समिति	अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान तथा अन्य हितों को देखती है।
ग्राम पंचायत	सभापति	उत्पादन उप-समिति	कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योगों तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को देखती है।
		सामाजिक न्याय उप-समिति	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ें वर्गों तथा अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा के प्रोत्साहन, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, खेलों तथा अन्य हितों तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के प्रोत्साहन को देखती है।
		उप-समिति	ग्राम पंचायत की उप-समितियों के शिक्षा, जन-स्वास्थ्य, लोक निर्माण कार्यों तथा अन्य कार्यों को देखती है।

1.3.2 स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं

पंचायती राज संस्थानों (पी.आर.आई.) के पास तकनीकी तथा गैर-तकनीकी स्टॉफ है। इन संस्थानों में 5,453 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 1,476 पद (जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी: 8; खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी: 27; लेखाकार: 3; ग्राम सचिव: 435; लिपिक: 139; तथा अन्य: 857) 31 मार्च 2016 को रिक्त थे **(परिशिष्ट 1)**। जिला परिषदों (पी.आर.आई.) में 311 संस्वीकृत पदों के विरूद्ध 211 पद रिक्त थे **(परिशिष्ट 2)**।

1.3.3 कार्यों की सुपुर्दगी

73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 में पी.आर.आई. को निधियों, कार्यो और कार्यकर्त्ताओं की सुपुर्दगी का विचार किया गया है ताकि उन्हें वित्तीय रूप से समर्थ तथा स्वायत बनाया जा सके। राज्य ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल 29 कार्यों में से 20 कार्य पी.आर.आई. को सौंपे हैं जैसा कि **तालिका 2** में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2: पी.आर.आई. को हस्तांतरित कार्यों का ब्यौरा

क्र.सं.	पी.आर.आई. को हस्तांतरित कार्य
1.	कृषि, कृषीय विस्तार सहित
2.	भूमि उन्नयन, भूमि सुधारों का कार्यान्वयन, भूमि समेकन तथा मृदा संरक्षण
3.	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन तथा वाटर शैड विकास
4.	पशुपालन, डेयरी तथा पोल्ट्री
5.	सामाजिक, वानिकी तथा फार्म वानिकी
6.	लघु वन उत्पाद
7.	ग्रामीण आवास
8.	पेयजल
9.	ईंधन एवं चारा
10.	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
11.	शिक्षा, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों सहित
12.	पुस्तकालय
13.	बाजार तथा मेले
14.	स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरियों सहित
15.	परिवार कल्याण
16.	महिला एवं बाल विकास
17.	समाज कल्याण, दिव्यांगों तथा मानसिक रूप से विक्षिप्तों के कल्याण सहित
18.	कमजोर वर्गों का कल्याण तथा विशेष रूप से अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन-जातियों का
19.	सार्वजनिक संवितरण प्रणाली
20.	सामुदायिक परिसंपत्तियों का रख-रखाव

1.4 वित्तीय प्रोफाइल

1.4.1 पी.आर.आई. को निधि प्रवाह

पी.आर.आई. में निधि का स्रोत और अभिरक्षा

पी.आर.आई. के संसाधन आधार में स्वयं का राजस्व, राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी) अनुदान, केन्द्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी) अनुदान, राज्य सरकार के अनुदान और केन्द्रीय सरकार के अनुदान शामिल हैं। पी.आर.आई. द्वारा केंद्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार (भा.स.) तथा राज्य सरकार द्वारा जारी मार्ग निर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि पी.आर.आई. की अपनी प्राप्तियां पी.आर.आई. द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य स्कीमों के लिए निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 3** में दिए गए हैं:

तालिका 3: प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र.सं.	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	भारत सरकार तथा राज्य सरकार मनरेगा निधियों के अपने संबंधित हिस्से राज्य रोजगार गारंटी निधि (एस.ई.जी.एफ.) नामक बैंक खाते में अंतरित करते हैं जिसे राज्य खातों से अलग रखा जाता है। राज्य रोजगार गारंटी निधि से निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.), बी.डी.पी.ओ. तथा जी.पी. को जारी की जाती हैं।
2	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.)	इंदिरा आवास योजना भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच 75:25 के अनुपात में लागत-हिस्सा आधार पर निधिबद्ध एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है। निधियां संबंधित डी.आर.डी.ए. के माध्यम से दो किश्तों में सीधे लाभार्थी के खाते में अंतरित कर दी जाती हैं। दूसरी किश्त निर्माण कार्य के लिंटल स्तर तक पहुंचने के बाद जारी की जाती है।
3	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन.आर.एल.एम.)	एन.आर.एल.एम. ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी कम करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित फलैगशिप कार्यक्रम है इसे 75:25 के अनुपात में भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच हिस्सेदारी के आधार पर फंड किया जाता है। एन.आर.एल.एम. के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन गठित किया गया है।
4	पूर्ण स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान (टी.एस.सी.)/ एम.बी.ए.	इस स्कीम के अधीन व्यक्तिगत रिहाईशी शौचालयों (आई.एच.एच.एल.) के निर्माण के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती है। जबकि सामुदायिक स्वच्छता परिसर के मामले में निधियों की हिस्सेदारी केंद्र, राज्य और समुदाय के बीच क्रमश: 60:30:10 के अनुपात में की जाती है। भारत सरकार से निधियां प्राप्त होने पर, राज्य अपने हिस्से के साथ ग्रांट्स जिला कार्यान्वयन एजेंसी (डी.आर.डी.ए.) को निर्मुक्त करती है। संबंधित ग्राम पंचायत आवश्यक विवरणों के साथ लाभग्राहियों के बारे में सूचना बी.डी.पी.ओ. और डी.आर.डी.ए. को उपलब्ध करवाती है जो लाभग्राहियों को सहायता निर्मुक्त करती है।

1.4.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए पी.आर.आई. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता के विवरण **तालिका 4** में दिए गए हैं।

तालिका 4: पी.आर.आई. की निधियों के स्रोतों तथा उपयोगिता पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.
स्वयं का राजस्व	211.80	211.80	237.87	237.87	259.65	259.65	411.54	411.54	282.06	282.06
सी.एफ.सी. अंतरण (केंद्रीय वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	170.48	170.48	246.39	246.39	291.24	291.24	284.06	284.06	419.28	419.28
सी.एफ.सी. अंतरण (राज्य वित्त आयोग सुपुर्दगियां)	143.00	143.00	171.86	171.86	213.39	213.39	199.99	199.99	150.00	150.00
सी.एस.एस. के लिए अनुदान (केंद्र तथा राज्य हिस्सा)	560.09	579.48	626.72	631.88	825.72	577.19	508.03	421.69	363.15	271.68
राज्य स्कीमों के लिए राज्य सरकार के अनुदान	304.56	304.56	351.47	351.47	367.92	306.44	340.15	340.15	389.10	389.10
कुल	**1,389.93**	**1,409.32**	**1,634.31**	**1,639.47**	**1,957.92**	**1,647.91**	**1,743.77**	**1,657.43**	**1,603.59**	**1,512.12**

स्रोत: निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा तथा निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।
नोट: आर.: प्राप्ति तथा ई.: व्यय।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि 2013-14 से 2015-16 वर्ष के लिए निधियों का अनुप्रयोग उन वर्षों में उपलब्ध संसाधनों से कम था। बचतें मुख्यत: केंद्रीय प्रयोजित स्कीमों के लिए ग्रांट्स के अंतर्गत और भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निधियों की देरी से निर्मुक्ति को आरोप्य थी। आगे, आई.ए.वाई. के अधीन निधियां, जैसे सूचित की गई, योग्य लाभग्राहियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की वजह से लक्ष्यों की अप्राप्ति के कारण अव्ययित रही।

1.5 लेखांकन व्यवस्था

उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषदों के लेखाओं के रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होता है, ख ड विकास एवं पंचायत अधिकारी-सह-कार्यकारी अधिकारी लेखाकार की सहायता से पंचायत समितियों (पी.एस.) के लेखाओं का रख-रखाव करता है जबकि ग्राम सचिव/सैक्रेटरी ग्राम पंचायतों के लेखाओं का रख-रखाव करता है।

राज्य सरकार ने अप्रैल 2010 से मॉडल एकाऊंटिंग स्ट्रक्चर 2009 को अपनाया है, जिसे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के परामर्श से पंचायती राज मंत्रालय (एम.ओ.पी.आर.) द्वारा विकसित किया गया है। निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि पी.आर.आईज के सभी स्तर अपने लेखाओं का रख-रखाव प्रियासॉफ्ट में कर रहे हैं। प्रियासॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर है जोकि मॉडल एकाऊंटिंग स्ट्रक्चर 2009 पर आधारित है।

1.6 लेखापरीक्षा व्याप्ति

21 में से पांच[1] जिला परिषदों, 126 में से 22 पंचायत समितियों और 6,205 में से 157 ग्राम पंचायतों के 2010-15 की अवधि के लेखाओं के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के दौरान नमूना-जांच की गई थी (**परिशिष्ट 3**)। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों पर अध्याय-2 में चर्चा की गई है।

1.7 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

पी.आर.आई. द्वारा, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना किया जाना तथा त्रुटियों/चूकों का सुधार किया जाना और उनकी अनुपालना सूचित किया जाना अपेक्षित है।

सितंबर 2016 तक जारी किए गए, समायोजित किए गए तथा बकाया निरीक्षण रिपोर्ट तथा अनुच्छेदों के विवरण **तालिका 5** में दर्शाए गए हैं:

[1] (i) कैथल, (ii) गुड़गांव, (iii) रोहतक, (iv) जींद तथा (v) कुरूक्षेत्र।

तालिका 5: पी.आर.आई. की बकाया निरीक्षण रिपोर्टें

क्र. सं.	निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने का वर्ष	बकाया लेखपरीक्षा आपत्ति का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण रिपोर्टों/अनुच्छेदों की संख्या		सितंबर 2016 को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों/अनुच्छेदों की संख्या	
		निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद	निरीक्षण रिपोर्टें	अनुच्छेद
1.	2011-12	92	761	43	301	135	1,062	-	7	135	1,055
2.	2012-13	135	1,055	36	241	171	1,296	-	3	171	1,293
3.	2013-14	171	1,293	63	452	234	1,745	-	-	234	1,745
4.	2014-15	234	1,745	43	307	277	2,052	09	149	268	1,903
5.	2015-16	268	1,903	46	271	314	2,174	51	890	263	1,284
कुल				**231**	**1,572**	कुल		**60**	**1,049**		

2015–16 के दौरान निपटान किए गए 890 अनुच्छेदों में से 91 अनुच्छेद अनुपालना के आधार पर निपटाए गए थे। कुल 799 अनुच्छेद, जो पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, सरकार को, अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेज दिए गए हैं जो लेखापरीक्षा में सत्यापित किए जाएंगे। तथापि, 1,284 अनुच्छेद सितंबर 2016 को बकाया थे। अनुपालना के लिए लंबित अनुच्छेद लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को दूर करने के लिए उचित ध्यान तथा प्रभावी कार्रवाई की कमी के सूचक हैं जो उत्तरदायिता को दुर्बल करते हैं।

अध्याय – 2

पंचायती राज संस्थाओं की लेखापरीक्षा के परिणाम

2.1 इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत आवासीय इकाइयों को पूर्ण न करना

प्रत्येक लाभग्राही को आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए दो किस्तों में ₹ 45,000 की सहायता प्रदान की गई थी जो तीन किस्तों में ₹ 70,000 तक बढ़ा दी गई (अप्रैल 2013)। लिंटल लेवल तक निर्माण कार्य के सत्यापन के बाद, दूसरी किस्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों (बी.डी.पी.ओज) द्वारा निर्मुक्त की जाती है। तीसरी किस्त तब दी जानी है जब शौचालय सहित घर का निर्माण हो जाए तथा लाभग्राही घर में रहना शुरू कर दे। आगे, स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, राज्य मुख्यालय, जिला उप–मंडल तथा ब्लॉक स्तरों पर आई.ए.वाई. में लगे हुए अधिकारियों को फील्ड यात्राओं द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यक्रम सही ढंग से कार्यान्वित किया गया था। किसी भी मामले में आवासीय इकाइयों की पूर्णता में पहली किस्त की मंजूरी की तिथि से दो वर्षों से ज्यादा का समय नहीं लेना चाहिए।

बी.डी.पी.ओ., महम (रोहतक) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2010–13 के दौरान पहली किस्त के तौर पर 27 लाभग्राहियों को ₹ 6.75 लाख की एक राशि निर्मुक्त की गई थी लेकिन दूसरी किस्तें निर्मुक्त नहीं की गई थी। आगे, 2013–14 के दौरान पहली तथा दूसरी किस्त के रूप में 57 लाभग्राहियों को ₹ 34.20 लाख की एक राशि निर्मुक्त की गई थी लेकिन तीसरी किस्त निर्मुक्त नहीं की गई थी। दूसरी और तीसरी किस्त की अनिर्मुक्ति ने इंगित किया कि इन लाभग्राहियों ने अपनी आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा नहीं किया था और स्कीम का उद्देश्य खत्म कर दिया।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (अक्तूबर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

2.2 निधियों का विपथन

केन्द्रीय वित्त आयुक्त (सी.एफ.सी.) की अनुशंसाओं पर सहायता अनुदान के तौर पर निधियों को निर्मुक्त करते हुए राज्य द्वारा जारी संस्वीकृति में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि निधियां केवल विकास कार्यों के लिए प्रयुक्त की जाएंगी।

पंचायत समिति, गुड़गांव के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर 2015) ने प्रकट किया कि ₹ 1.42 लाख राशि की सी.एफ.सी. निधियां वेतन तथा भत्ते, प्रशिक्षण के प्रति विपथित कर दी गई थी (अप्रैल 2010 से जुलाई 2013)। इसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ तथा मार्गनिर्देशों के उल्लंघन में निधियों का विपथन हुआ।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

2.3 मजदूरियों का भुगतान करने में विलंब

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 3(3) प्रावधान करती है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा) के अंतर्गत कामगार को मजदूरी का संवितरण साप्ताहिक आधार पर या किसी भी मामले में उस तारीख, जब ऐसा कार्य किया गया था, के बाद अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाएगा। आगे, मनरेगा दिशानिर्देश प्रावधान करते हैं कि भुगतान देय होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए या अन्यथा प्राप्तकर्त्ता मस्टररोल के बंद होने के 16 दिन से अधिक देरी के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर पर मुआवजे के लिए हकदार होगा।

फतेहाबाद जिले में रतिया ब्लॉक के विकास तथा पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 28,950 मामलों में ₹ 4.44 करोड़ की राशि की मजदूरी का भुगतान करने में विलंब था। 2012-14 के दौरान विलंब 15 तथा 90 दिनों से अधिक के मध्य श्रृंखलित था **(परिशिष्ट 4)**।

बी.डी.पी.ओ. सह कार्यक्रम अधिकारी, रतिया ने बताया (मार्च 2015) कि मजदूरियों के भुगतान में देरी निधियों की अनुपलब्धता के कारण थी। तथ्य रहता है कि दिशानिर्देशों की अनुपालना नहीं की गई थी तथा कार्यान्वयन एजेंसी ने न तो कार्मिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान करने के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित की और न ही देरी के लिए मुआवजे का भुगतान किया।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (सितंबर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

2.4 भूतपूर्व सरपंचों और पंचों से शेषों की अवसूली

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(1) के अनुसार सरपंच अथवा पंच, ग्राम पंचायत (जी.पी.) की चल और अचल संपत्ति की अभिरक्षा तथा प्रभार के लिए उत्तरदायी होंगे। अधिनियम की धारा 18(2) में प्रावधान है कि खण्ड विकास और पंचायत अधिकारी (बी.डी.पी.ओ.), जी.पी. के चुनाव कार्यक्रम में प्रकाशन से सात दिन पूर्व की अवधि में या पंच और सरपंच के निलंबन या बर्खास्तगी की स्थिति में, रिकार्ड तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को अभिलेखों, रजिस्टर तथा अन्य संपत्ति सौंपने हेतु आदेश दे सकता है। आगे, यदि कोई व्यक्ति, अधिनियम की धारा 18(1) अथवा 18(2), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बी.डी.पी.ओ. द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को अभिलेख अथवा संपत्ति सौंपने में विफल रहता है तो बी.डी.पी.ओ., उस व्यक्ति से ऐसे अभिलेख तथा संपत्ति प्राप्त करने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को आवेदन करेगा ताकि यह प्राधिकृत व्यक्ति को सौंपी जा सके (धारा 18(3))।

तीन जिलों में 12 बी.डी.पी.ओज[1] के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 23.06 लाख की राशि के नकद शेष, 65 भूतपूर्व सरपंचों **(परिशिष्ट 5)** द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति अर्थात् सरपंच या पंच, सामाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी या ग्राम सचिव को सौंपे नहीं गए थे। 1990-95 से 2010-15 तक की अवधि से संबंधित राशि उनके पास पड़ी थी। राशि की वसूली के लिए उचित कार्रवाई, जैसाकि हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में प्रावधान था, नहीं की गई थी।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास और पंचायत विभाग के पास भेजा गया था (सितंबर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

2.5 बिजली उपकरणों की अनियमित खरीद

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण नियम, 1996 के नियम 140 में निर्धारित किया गया है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर सभी विद्युत कार्य पंचायती राज विभाग (जिसका नाम अब विकास तथा पंचायत विभाग रख दिया गया है) के बिजली विंग के परामर्श या अनुमोदन से किए जाएंगे। इन नियमों के नियम 135(1) के साथ संलग्न अनुसूची आगे प्रावधान करती है कि ₹ 50,000 से अधिक के कार्य के लिए स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में विज्ञापनों के द्वारा निविदाओं/कोटेशनज के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए।

बी.डी.पी.ओ., गुड़गांव के अभिलेखों की संवीक्षा (अक्तूबर 2015) ने प्रकट किया कि ₹ 16.35 लाख[2] की स्ट्रीट लाइटों के लिए ऑटोमेटिक कॉम्पेक्ट फ्लुरोसेंट लैम्प की आपूर्ति तथा स्थापना का कार्य स्थानीय लोकप्रिय अखबारों में विज्ञापन द्वारा निविदाएं आमंत्रित करने की बजाए कोटेशन आधार पर तीन फर्मों से निष्पादित करवाया गया था (दिसंबर 2010 से सितंबर 2014), यद्यपि चारों कार्यों में प्रत्येक की कीमत ₹ 50,000 से ज्यादा थी। आगे, विभाग के बिजली विंग के अनुमोदन या परामर्श के बिना कार्य निष्पादित करवाए गए थे। इस प्रकार बिजली उपकरणों की खरीद तथा स्थापना तथा इससे संबंधित कार्य अनियमित था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, बी.डी.पी.ओ., गुड़गांव ने बताया (जनवरी 2017) कि उप-मंडल अधिकारी (पंचायती राज) से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोटेशन के आधार पर खरीद की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कार्य, स्थानीय अखबारों द्वारा निविदाएं/टेंडर आमंत्रित करने तथा विभाग के बिजली विंग के परामर्श या अनुमोदन के बाद निष्पादित किए जाने अपेक्षित थे।

[1] (i) जुलाना, (ii) उचाना, (iii) नरवाना, (iv) जींद, (v) बबैन, (vi) इस्माइलाबाद, (vii) शाहबाद, (viii) थानेसर, (ix) अलेवा, (x) सफीदों, (xi) पिल्लुखेड़ा तथा (xii) फारूखनगर।

[2] ₹ 5.63 लाख (दिसंबर 2010); ₹ 6.08 लाख (मार्च 2011); ₹ 1.01 लाख (मई 2012); ₹ 3.63 लाख (सितंबर 2014)।

2.6 गृह कर का बकाया

हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखापरीक्षा, कराधान तथा निर्माण नियम, 1996 के नियम 117(1) के अनुसार एक ग्राम पंचायत (ग्रा.प.) अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 41 की उप-धारा(1) के क्लॉज(ए) के अंतर्गत गृह कर के आरोपण के लिए एक प्रस्ताव, ऐसी दर पर जैसा कि यह उचित समझे लेकिन ₹ 30 प्रति वर्ष से ज्यादा न हो, पास करेगी। आगे, नियम 118 प्रावधान करता है कि प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद, जी.पी. चूककर्त्ताओं की देय राशि को दिखाते हुए एक सूची तैयार करेगी तथा प्रत्येक चूककर्त्ता का एक अलग केस कलैक्टर को भेजेगी जो अधिनियम की धारा 201 के अंतर्गत भूमि राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करेगा। इस प्रकार से वसूली गई राशि जी.पी. को सौंप दी जाएगी।

तीन जिलों में पांच बी.डी.पी.ओज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ₹ 59.43 लाख की राशि का गृह कर मार्च 2016 को बकाया में था। विवरण **तालिका 6** में दिए गए है।

तालिका 6: गृह कर के बकाया के विवरण

क्र.सं.	बी.डी.पी.ओज	बकाया गृह कर (₹ लाख में)
1	महम (रोहतक)	16.92*
2	लाखनमाजरा (रोहतक)	11.30
3	सफीदों (जींद)	9.62
4	सांपला (रोहतक)	17.70
5	भट्टूकला (फतेहाबाद)	3.89
	कुल	**59.43**

* **मार्च 2015 को; अभिलेख अग्नि दुर्घटना में जल गए।**

जी.पीज ने चूककर्त्ताओं से बकाया गृह कर वसूलने के लिए नियमों में यथा विचारित कदम नहीं उठाए थे। लेखापरीक्षा के दौरान बी.डी.पी.ओज महम, लाखनमाजरा, सफीदों तथा सांपला ने बताया कि (सितंबर से दिसंबर 2015) बकाया गृह कर को वसूलने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे।

मामला अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग को भेज दिया गया था (जनवरी 2017); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

भाग ख: शहरी स्थानीय निकाय

भाग – ख: शहरी स्थानीय निकाय

अध्याय – 3

शहरी स्थानीय निकायों का प्रोफाइल

3 प्रस्तावना

74वें संवैधानिक संशोधन ने शक्तियों के विकेन्द्रीकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों को संविधान की बारहवीं अनुसूची में शामिल 18 कार्यों के साथ निधियों तथा पदाधिकारियों के हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त किया है। हरियाणा सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बीज) को शक्तियों तथा जिम्मेदारियों के हस्तांतरण के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 तथा हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 बनाए गए।

3.1 लेखापरीक्षा व्यवस्था

निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (एल.ए.डी.), हरियाणा सभी नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगरपालिकाओं का सांविधिक लेखापरीक्षक है।

ग्यारहवें वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) ने सिफारिश की कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यू.एल.बी. के सभी तीन सोपानों/स्तरों के लेखाओं के सही रख-रखाव पर नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण तथा उनकी लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग ने आगे सिफारिश की कि राज्य सरकार को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्टों को राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रबंध अवश्य करना चाहिए। राज्य सरकार ने नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 20(1) के अंतर्गत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को शहरी स्थानीय निकायों की नमूना-लेखापरीक्षा तथा यू.एल.बीज के संबंध में निदेशक, स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग, हरियाणा को तकनीकी गाइडेंस (टी.जी.) प्रदान करने की अनुमति प्रदान की (अगस्त 2008)। राज्य सरकार ने आगे अधिसूचित किया (दिसंबर 2011) कि वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट (ए.टी.आई.आर.) तथा एल.ए.डी. की वार्षिक रिपोर्ट, राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

राज्य सरकार ने 6 सितंबर 2013, 10 मार्च 2015, 4 सितंबर 2015 तथा 29 अगस्त 2016 को राज्य विधानसभा के समक्ष क्रमश: वर्ष 2009-11, 2011-13, 2013-14 तथा 2014-15 का ए.टी.आई.आर. प्रस्तुत करके तत्रैव अधिसूचना की शर्तों का पालन किया है। स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग का वर्ष 2014-15 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधानसभा के समक्ष 31 अगस्त 2016 को प्रस्तुत किया गया था। ए.टी.आई.आरज पर चर्चा करने के लिए हरियाणा विधानसभा द्वारा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं पर एक पृथक समिति का गठन भी किया गया था (मई 2014)।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, यू.एल.बी. में सार्वजनिक वित्त प्रबंध तथा उत्तरदायिता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग (सांविधिक लेखापरीक्षक) अर्थात् प्राइमरी एक्सटर्नल लेखापरीक्षकों को उपयुक्त तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता (टी.जी.एस.) प्रदान कर सकते हैं। ऐसे टी.जी.एस. के मापदण्ड, सी.ए.जी. के (डी.पी.सी.) एक्ट, 1971 की धारा 23 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा एवं लेखाओं पर विनियम, 2007 के विनियम 152 से 154 में दिए गए हैं।

3.2 शहरी स्थानीय निकायों का संगठनात्मक ढांचा

राज्य में 10 नगर निगम, 18 नगर परिषद तथा 52 नगरपालिकाएं हैं। शहरी स्थानीय निकायों में प्रत्येक वार्ड से चुने हुए सदस्य होते हैं। नगर निगम में मेयर तथा नगर परिषद तथा नगरपालिकाओं में अध्यक्ष विभिन्न वार्डों से चुने हुए सदस्यों के बहुमत से चुने जाते हैं। सभापति बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यू.एल.बी. का समग्र नियंत्रण निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव (शहरी स्थानीय निकाय) के पास होता है। यू.एल.बी. का संगठनात्मक ढांचा नीचे **चार्ट 1** में वर्णित है:

चार्ट 1: यू.एल.बी. का संगठनात्मक ढांचा

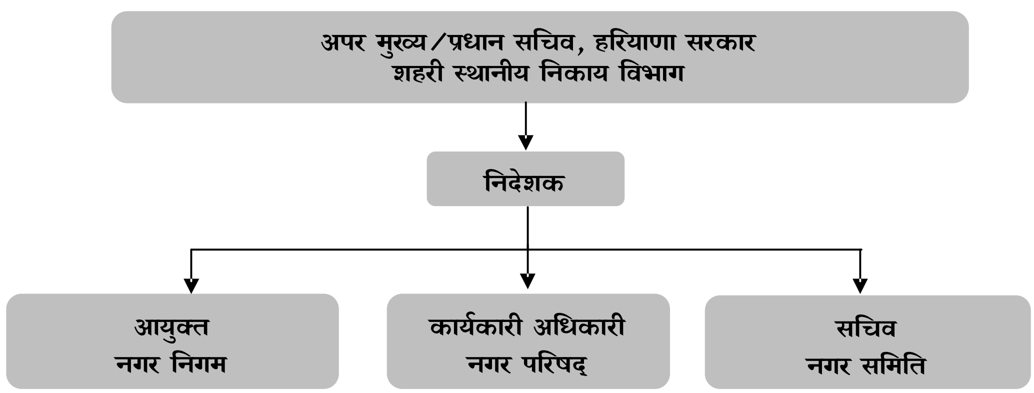

3.2.1 स्थाई समितियां

यू.एल.बी. निर्धारित कार्यो के निष्पादन के लिए स्थायी समितियां गठित करेंगे। यू.एल.बी. की स्थायी समिति के गठन का विवरण **तालिका 7** में वर्णित है।

तालिका 7: स्थाई समितियों की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व

यू.एल.बी. के स्तर	स्थाई समिति का अध्यक्ष	स्थाई समिति का नाम	स्थाई समिति की भूमिकाएं तथा उत्तरदायित्व
शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.)	चेयरमैन	वित्त उप-समिति	नगरपालिका के वित्त, बजट बनाने, राजस्व की वृद्धि की संभावनाओं की संवीक्षा और प्राप्तियों तथा व्यय विवरणियों के निरीक्षण से संबंधित कार्यों को देखती है।
		लोक निर्माण कार्य तथा भवन उप-समिति	नगरीय निर्माण, यू.एल.बी. के नियंत्रणाधीन नगरपालिका संपत्तियों तथा भवनों के रख-रखाव तथा सत्यापन से संबंधित कार्यों को देखती है। यह अतिक्रमणों तथा प्रक्षेपणों से संबंधित सभी मामलों को भी देखती है।
		स्वच्छता तथा जलापूर्ति उप-समिति	स्वच्छता, स्वास्थ्य, सीवरेज तथा जलापूर्ति संबंधी मामलों को देखती है।

3.2.2 कार्यों की सुपुर्दगी

यू.एल.बी. को शक्तियों और कार्यों के विकेंद्रीयकरण तथा शहरों और कस्बों की पर्याप्त मूलभूत संरचना तथा मूलभूत सुविधाओं सहित उपयुक्त और योजनागत वृद्धि को सुनिशिचित करने के लिए संविधान का 74वां संशोधन किया गया था। नीचे दी गई **तालिका 8** में दिए गए विवरणानुसार हरियाणा सरकार ने यू.एल.बी. को 18 कार्य सौंपे हैं। सभी 18 कार्य यू.एल.बी. को हस्तांतरित कर दिए गए हैं।

तालिका 8: यू.एल.बी. को हस्तांतरित कार्यों के विवरण

क्र.सं.	यू.एल.बी. को हस्तांतरित कार्य
1.	नगर आयोजना सहित शहरी आयोजना
2.	भूमि प्रयोग तथा भवनों के निर्माण का विनियमन
3.	आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए आयोजना
4.	सड़कें तथा पुल
5.	जलापूर्ति-घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक
6.	जन-स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, सरंक्षणता तथा सीवरेज जल अनुरक्षण
7.	अग्नि सेवाएं
8.	शहरी वानिकी, पर्यावरण की सुरक्षा पहलुओं को बढ़ाना तथा पारिस्थितिकी
9.	विकलांग तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा
10.	स्लम सुधार तथा उन्नयन
11.	शहरी गरीबी उन्मूलन
12.	शहरी सुख सुविधाओं तथा सहूलियतों-पार्कों, उद्यानों तथा खेल के मैदानों का प्रावधान
13.	सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा सौंदर्य विषयक पहलुओं का प्रोत्साहन
14.	दफनाना तथा कब्रिस्तान, दाह-संस्कार, शमशानघाट तथा विद्युत शवदाहगृह
15.	पशु तालाब, पशुओं पर निर्दयता की रोकथाम
16.	जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आंकड़े
17.	स्ट्रीट लाईटिंग, पार्किंग लोट्स, बस स्टापस तथा जन सुविधाओं सहित सार्वजनिक सुख-सुविधाएं
18.	बूचड़खाना और चर्मशोधनशाला का नियमन

3.3 वित्तीय प्रोफाइल

3.3.1 यू.एल.बी. का निधि प्रवाह

विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन के लिए यू.एल.बी. मुख्यत: भारत सरकार तथा राज्य सरकार से अनुदानों के रूप में निधियां प्राप्त करते हैं। भारत सरकार के अनुदानों में केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुदान तथा स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए अनुदान शामिल है। राज्य सरकार के अनुदान राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) की सिफारिशों पर कुल कर राजस्व की निवल आय से हस्तांतरण तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन हेतु अनुदानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त यू.एल.बी. द्वारा करों, किराया, फीस तथा लाईसैंस जारी करने के रूप में भी राजस्व एकत्रित किया जाता है।

केंद्रीय तथा राज्य अनुदान, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी मार्गनिर्देशों के अनुसार केंद्रीय तथा राज्य प्रायोजित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए यू.एल.बी. द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जबकि यू.एल.बी. की अपनी प्राप्तियां प्रशासनिक व्ययों तथा यू.एल.बी. द्वारा निर्मित स्कीमों/कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग की जाती हैं। मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध **तालिका 9** में दिए गए हैं:

तालिका 9: मुख्य स्कीमों में निधि प्रवाह प्रबंध

क्र. सं.	स्कीम	निधि प्रवाह प्रबंध
1	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.)	एन.यू.एल.एम. के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच 75:25 के अनुपात में निधियों की हिस्सेदारी की जाती हैं। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को फलदायी स्वरोजगार तथा कुशल मजदूर रोजगार हेतु सक्षम बनाकर गरीबी तथा असुरक्षा को कम करना है।
2	अनुसूचित जाति बस्तियों का विकास	यह राज्य प्लान स्कीम है तथा राज्य अनुसूचित जाति उप-प्लान (एस.सी.एस.पी.) से निधिकृत किया जाता है। स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति बस्तियों को सामुदायिक केंद्रो का निर्माण एवं मरम्मत, सड़कों का ड्रेनों सहित सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण, पार्को का विकास, स्ट्रीट लाईटों की प्रदानगी तथा सामुदायिक शौचालयों के निर्माण जैसे विकास कार्यों के लाभ प्रदान करना है।
3	राजीव गांधी शहरी विकास निगम, हरियाणा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.)	यह राज्य प्रायोजित स्कीम है। स्कीम के अंतर्गत निधियां मूलभूत संरचना अंतराल इंडैक्स तथा संबंधित यू.एल.बीज की जनसंख्या के आधार पर पात्र यू.एल.बीज के बीच बांटी जाती है।

3.3.2 निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता

2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए यू.एल.बी. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता की प्रवृत्ति के विवरण **तालिका 10** में दिए गए हैं।

तालिका 10: यू.एल.बी. की निधियों के स्रोत तथा उपयोगिता पर टाइम सीरीज डाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.	आर.	ई.
केंद्रीय वित्त आयोग	38.13	22.30	60.81	48.52	165.76	165.76	204.24	122.74	86.71	86.71
राज्य वित्त आयोग	54.42	34.37	147.15	113.45	118.12	118.12	152.53	152.53	189.96	189.96
ऋण	42.97	11.75	41.59	25.30	-	-	-	-	-	-
अपने स्रोत (कर तथा कर-भिन्न)	675.56	1,018.51	471.00	327.12	1,275.21	892.43	570.55	555.95	1,259.35	1,459.35
अन्य अनुदान	380.62	279.38	1,184.59	907.26	1,082.13	1,082.13	1,471.08	1,394.52	83.37	42.14
कुल योग	**1,191.70**	**1,366.31**	**1,905.14**	**1,421.65**	**2,641.22**	**2,258.44**	**2,398.40**	**2,225.74**	**1,619.39**	**1,778.16**

स्रोत: निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्रदान किए गए आंकड़े।
नोट: आर.: प्राप्ति तथा ई.: व्यय।

जैसा कि उपर्युक्त से स्पष्ट है कि व्यय, 'स्वयं के स्रोतों' के अंतर्गत निधियों के मामले में प्राप्तियों से बढ़ गया। अधिक व्यय, मुख्यत: अन्य संसाधनों, **जैसे स्टाम्प शुल्क हिस्सा और राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा** के अंतर्गत प्राप्त अनुदान से म्यूनिसिपल स्टॉफ के वेतनों पर व्यय के कारण था।

3.4 लेखांकन व्यवस्था

नगर निगमों में लेखाओं के रख-रखाव के लिए वरिष्ठ लेखा अधिकारी उत्तरदायी हैं जबकि नगर परिषदों के मामले में कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिकाओं के मामले में सचिव, लेखाकारों की सहायता से लेखे का रख-रखाव करते हैं।

नगरपालिकाओं, नगर परिषदों तथा नगर निगमों के लेखाओं का रख-रखाव नगरीय लेखा संहिता, 1930 द्वारा शासित है। नेशनल म्यूनिसिपल अकाऊंटस मैनुअल द्वारा सुझाए गए अकाऊंटिंग फारमेट तथा कोडिफिकेशन पैटर्न के समनुरूप हरियाणा म्यूनिसिपल अकाउंट कोड, 2012 का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन मार्च 2012 में जारी किया गया था। निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने बताया (नवंबर 2016) कि नगरपालिकाओं में डबल एंट्री सिस्टम अकाऊंटिंग आरंभ करने के लिए नेशनल म्यूनिसिपल अकाऊंटस मैनुअल पर आधारित म्यूनिसिपल अकाऊंट कोड अंतिमकरणाधीन था।

3.5 लेखापरीक्षा व्याप्ति

वर्ष 2015-16 के दौरान 36 यू.एल.बी. (6[1] नगर निगमों, 12[2] नगर परिषदों तथा 18[3] नगरपालिकाओं) के रिकार्डों की नमूना-जांच की गई थी।

3.6 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन तथा अनुच्छेद

नगर निगम, नगर परिषद तथा नगरपालिका के क्रमश: आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/सचिव द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों (आई.आर.) में शामिल अभ्युक्तियों की अनुपालना करना तथा कमियों/चूकों को ठीक करना तथा अभ्युक्तियों को समायोजित करने के लिए उनकी अनुपालना सूचित करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2016 को जारी, समायोजित तथा बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा अनुच्छेदों के विवरण **तालिका** 11 में दिए गए हैं।

तालिका 11: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/अनुच्छेदों की स्थिति

निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी करने का वर्ष	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों का आरंभिक शेष		जमा		कुल		समायोजित निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की संख्या		31 मार्च 2016 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/अनुच्छेदों की संख्या	
	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद	नि.प्र.	अनुच्छेद
2011-12	54	501	21	260	75	761	-	07	75	754
2012-13	75	754	36	264	111	1,018	-	-	111	1,018
2013-14	111	1,018	32	453	143	1,471	-	-	143	1,471
2014-15	143	1,471	32	271	175	1,742	-	21	175	1,721
2015-16	175	1,721	54	345	229	2,066	35	807	194	1,259
कुल			**175**	**1,593**	कुल		**35**	**835**		

2015-16 के दौरान निपटान किए गए 807 अनुच्छेदों में से 16 अनुच्छेद अनुपालना के आधार पर निपटाए गए थे। कुल 389 अनुच्छेद, जो पांच वर्षों से अधिक पुराने थे, समय बीतने के साथ उनका महत्व एवं प्रासंगिकता समाप्त होने के कारण आगे अनुसरित नहीं किए गए थे, जबकि 402 अनुच्छेद सरकार को, उनके स्तर पर कार्रवाई करने के लिए भेजे गए हैं जो लेखापरीक्षा में सत्यापित किए जाएंगे। तथापि, 1,259 अनुच्छेद सितंबर 2016 को अभी भी शेष थे। अनुपालना के लिए लंबित अनुच्छेद, लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को दूर करने के लिए उचित ध्यान तथा प्रभावी कार्रवाई की कमी का सूचक है जो उत्तरदायिता को दुर्बल करती है।

---

[1] (1) अंबाला, (2) फरीदाबाद, (3) गुड़गांव, (4) करनाल, (5) यमुनानगर तथा (6) हिसार।

[2] (1) सोनीपत, (2) गोहाना, (3) कैथल, (4) टोहाना, (5) बहादुरगढ़, (6) चरखी दादरी, (7) नारनौल, (8) जींद, (9) फतेहाबाद, (10) डबवाली, (11) हांसी तथा (12) होडल।

[3] (1) गन्नौर, (2) खरखोदा, (3) समालखा, (4) जुलाना, (5) सफीदों, (6) राजौंद, (7) नारायणगढ़, (8) बवानी खेड़ा, (9) लोहारू, (10) सिवानी, (11) नूंह, (12) फिरोजपुर झिरका, (13) भूना (14) हथीन, (15) नागल चौधरी, (16) महेंद्रगढ़, (17) तावडू तथा (18) पुन्हाना।

अध्याय – 4

शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के परिणाम

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

4.1 अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास की स्कीम

4.1.1 प्रस्तावना

'50 प्रतिशत से अधिक एस.सी. जनसंख्या वाले वार्डों के विकास' के लिए चालू स्कीम के स्थान पर क्षेत्रों, जिनमें एस.सी. जनसंख्या 50 प्रतिशत या उससे कम थी, के लिए एक स्कीम 'एस.सी. बस्तियों का विकास' 2009-10 में शुरू की गई थी। स्कीम के अधीन सामुदायिक केंद्रों का निर्माण, नालियों सहित सड़कों की मरम्मत, सुदृढ़ीकरण और निर्माण, पार्कों का विकास, स्ट्रीट लाईट्स प्रदान करना और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण जैसे विकास कार्यों का निष्पादन किया जाना था। ₹ 236.31 करोड़ के आबंटन के विरूद्ध, 2011-16 के दौरान ₹ 219.81 करोड़ नगरपालिकाओं को निर्मुक्त किए गए, जिनके विरूद्ध ₹ 65.44 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए।

यह निर्धारित करने के विचार से कि स्कीम कुशलता तथा प्रभावी ढंग से कार्यान्वित की गई थी, 2011-16 की अवधि के लिए निदेशालय शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) तीन[1] नगर निगमों, 6[2] नगर परिषदों और 16[3] नगरपालिकाओं के अभिलेखों की जनवरी-जुलाई 2016 के दौरान संवीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.1.2 वित्तीय प्रबंधन

4.1.2.1 एस.सी. जनसंख्या के अनुपात में नगरपालिकाओं को वितरित नहीं की गई निधियां

चूंकि, एस.सी. बस्ती के विकास की स्कीम अनुसूचित जाति उप-योजना के अधीन तैयार की गई थी, निधियां नगरपालिकाओं को, उनके क्षेत्रों में एस.सी. जनसंख्या के अनुपात में आबंटित की जानी अपेक्षित थी। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2009-10 और 2010-11 (पहली और दूसरी तिमाही) के दौरान नगरपालिकाओं को निधियां संबंधित नगरपालिकाओं की एस.सी. जनसंख्या के आधार पर आबंटित की गई थी, वर्ष 2010-11 (तीसरी और चौथी

---

1 (1) फरीदाबाद (2) गुड़गांव तथा (3) सोनीपत।

2 (1) हांसी (2) कैथल (3) नारनौल (4) नरवाना (5) पलवल तथा (6) सिरसा।

3 (1) बरवाला (2) चीका (3) धारूहेड़ा (4) हथीन (5) कलायत (6) लाडवा (7) लोहारू (8) नीलोखेड़ी (9) पेहोवा (10) पुंडरी (11) पुन्हाना (12) सफीदों (13) समालखा (14) शाहबाद (15) सिवानी तथा (16) उकलाना मंडी।

तिमाही) से 2015-16 तक निधियां इन क्षेत्रों में एस.सी. जनसंख्या का ध्यान किए बिना नगरपालिकाओं की कुल जनसंख्या के आधार पर आबंटित की गई थी जो मार्गनिर्देशों के विरूद्ध था परिणामत: 20 नगरपालिकाओं ने अपनी हकदारी से ₹ 28.50 करोड़ अधिक प्राप्त किए जबकि शेष 59 नगरपालिकाओं ने उस सीमा तक कम निधियां प्राप्त की (**परिशिष्ट 6**)।

विभाग ने बताया (जून 2016) कि निधियां सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद निर्मुक्त की गई थी। तथ्य रह जाता है कि निधियों को एस.सी. जनसंख्या के संदर्भ के साथ निर्मुक्त नहीं किया गया और लक्षित जनसंख्या स्कीम में विचारित सीमा तक लाभ प्राप्त नहीं कर सकी।

4.1.2.2 स्कीम के धीमे कार्यान्वयन के कारण, निधियां अव्ययित बची रहीं

निदेशक, यू.एल.बीज, ने 2011-16 के दौरान स्कीम के कार्यान्वयन के लिए ₹ 219.81 करोड़ की निधियां निर्मुक्त की। नगरपालिकाओं ने केवल ₹ 65.44 करोड़ (30 प्रतिशत) उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सीज) प्रस्तुत किए जबकि ₹ 154.37 करोड़[4] के यू.सीज प्रतीक्षित थे (जून 2016)।

विभाग ने बताया (जून 2016) कि विकास कार्य फील्ड स्तर पर प्रगति में थे और उपयोगिता प्रमाण-पत्र उनके पूर्ण होने पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। तथ्य रहता है कि स्कीम का कार्यान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि वर्ष 2011-12 के यू.सीज भी प्रतीक्षित थे।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं ने विकास कार्यों के निष्पादन के लिए 2011-16 के दौरान ₹ 91.76 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की थी। तथापि, केवल ₹ 44.38 करोड़ व्यय किए गए और ₹ 47.38 करोड़ (52 प्रतिशत) की शेष निधियां अप्रयुक्त पड़ी थी (**परिशिष्ट 7**)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगरपालिकाओं ने निधियों की उपयोगिता तथा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सही योजनाएं तैयार नहीं की थी परिणामत: निधियां अप्रयुक्त रह गई।

पांच[5] नगरपालिकाओं ने बताया (अप्रैल-जून 2016) कि निधियों का प्रयोग तकनीकी स्टॉफ की कमी के कारण नहीं किया जा सका जबकि नगरपरिषद हांसी ने बताया (जून 2016) कि परिषद द्वारा विकास कार्यों के निष्पादन के लिए प्रस्ताव पारित न किए जाने के कारण निधियों का प्रयोग नहीं किया जा सका। शेष 19 नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च-जून 2016) कि निर्माण कार्यों के निष्पादन पर शेष निधियों का प्रयोग यथाशीघ्र कर लिया जाएगा।

4.1.2.3 पृथक लेखे का न रखा जाना

स्कीम के अंतर्गत निधियों की संस्वीकृति की शर्त 2 के अनुसार स्कीम के अधीन निर्मुक्त ग्रांट्स के लेखाओं को लेखापरीक्षा द्वारा जांच के लिए अलग से रखा जाना और परिचालित

[4] 2011-2012: ₹ 14.07 करोड़; 2012-2013: ₹ 18.32 करोड़; 2013-2014: ₹ 25.97 करोड़; 2014-2015: ₹ 42.09 करोड़; तथा 2015-2016: ₹ 53.92 करोड़।

[5] नगर निगम, गुड़गांव और नगपालिका, लोहारू, सिवानी, उकलाना मंडी तथा पेहोवा।

किया जाना था। नमूना-जांच की गई 25 नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि केवल 6 नगरपालिकाओं द्वारा पृथक लेखे अर्थात् कैशबुक, बैंक खाते रखे गए थे। पृथक लेखाओं के अभाव में ग्रांट्स पर अर्जित ब्याज की राशि का अनुमान नहीं लगाया जा सका।

संबंधित नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च-जून 2016) कि भविष्य में पृथक खाते रखे जाएंगे।

4.1.3 कार्य का निष्पादन

4.1.3.1 अनधिकृत कालोनियों में किया गया व्यय

निदेशक, यू.एल.बीज द्वारा जारी (नवंबर 2008) और आगे प्रधान सचिव, यू.एल.बीज विभाग द्वारा (अप्रैल 2013) दोहराए गए अनुदेशों के अनुसार नगरपालिकाओं द्वारा अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्य नहीं किए जाने थे।

नगर निगम, फरीदाबाद ने तथापि, छः[6] अनधिकृत कालोनियों में विकास कार्यों पर मुख्यतः गलियों के निर्माण पर 2011-16 (**परिशिष्ट 8**) के दौरान ₹ 2.68 करोड़ का व्यय किया।

नगर निगम, फरीदाबाद के लेखाओं के प्रभारी अधिकारी ने बताया (मार्च 2016) कि भविष्य में अनुदेशों की अनुपालना की जाएगी।

4.1.3.2 क्षेत्र, जिसमें एस.सी. जनसंख्या निवास नहीं करती थी, में अनुचित व्यय

स्कीम का मुख्य उद्देश्य एस.सी. जनसंख्या को लाभ प्रदान करना था। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि नगरपालिका, कलायत ने वार्ड संख्या 7 में गली तथा नाले के निर्माण पर ₹ 2.51 लाख का व्यय किया जिसमें कोई एस.सी. जनसंख्या निवास नहीं करती थी। इस प्रकार लक्ष्यित जनसंख्या को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ और कार्य पर किया गया व्यय न्यायसंगत नहीं था।

एम.सी. कलायत के सचिव ने तथ्यों को स्वीकारते हुए बताया (अप्रैल 2016) कि भविष्य में इस बिंदु को ध्यान में रखा जाएगा।

4.1.3.3 निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के कारण पेनल्टी का अनुद्ग्रहण

अनुबंध की धारा-2 के अनुसार, निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब के लिए विलंब के प्रत्येक दिन के लिए पूरे कार्य की अनुमानित लागत के एक प्रतिशत या कार्य की अनुमानित लागत के अधिकतम दस प्रतिशत के बराबर राशि ठेकेदार से वसूलनीय थी।

चार[7] एम.सीज के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि 2010-16 के दौरान निष्पादित विकास कार्य जैसे गलियों, चारदीवारी, रसोई के शैडज और आंगनवाड़ी केंद्रों आदि के निर्माण निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं किए गए। इन कार्यों को पूर्ण करने में 45 और 367 दिनों की

[6] ए.सी. नगर, इंद्र नगर, रामनगर, नेहरू कालोनी, ध्रुव डेरा तथा गधा खोर खेड़ा।

[7] नगर निगम फरीदाबाद तथा सोनीपत, नगर परिषद कैथल तथा सिरसा।

सीमा के बीच श्रृंखलित विलंब थे ***(परिशिष्ट 9)***। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि न तो ठेकेदारों द्वारा विस्तारण मांगे गए न ही म्यूनिसिपल अभियंताओं ने निर्माण कार्यों की पूर्णता में विलंब के लिए पेनल्टी लगाई। ठेका अनुबंधों के अनुसार, ठेकेदारों पर ₹ 8.96 लाख की पेनल्टी उद्ग्रहणीय थी। ठेकेदारों को अंतिम बिलों का भुगतान पेनल्टी की वसूली किए बिना कर दिया गया था। संबंधित नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च-जून 2016) कि मामले की जांच की जाएगी और तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

4.1.4 *विकास कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के परिणाम*

लेखापरीक्षा द्वारा चयनित नगरपालिकाओं में विकास कार्यों का भौतिक सत्यापन मार्च-जून 2016 के दौरान नगरपालिकाओं के कर्मचारियों के साथ किया गया। नगर निगम, फरीदाबाद के भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि ₹ 11.22 लाख की लागत पर गांव अगवानपुर स्थित (वार्ड नं. 21, फरीदाबाद में) एक सामुदायिक केंद्र का निर्माण किया गया (मार्च 2015) परंतु शौचालय, स्नानागार, जलापूर्ति एवं सीवरेज प्रणाली इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएं सामुदायिक केंद्र में प्रदान नहीं की गई। परिणामतः सामुदायिक केंद्र का सही उपयोग सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

नगर परिषद, हांसी के विकास कार्यों के भौतिक सत्यापन ने प्रकट किया कि वार्ड संख्या-15 में गली में सीमेंट-कंकरीट (सी.सी.) प्रदान करने के कार्य को ₹ 2.13 लाख की लागत पर पूर्ण किया गया (मई 2013) दर्शाया गया था। परंतु भौतिक सत्यापन से प्रकट हुआ कि गली में सीमेंट-कंकरीट निर्मित नहीं किया गया था।

वार्ड नं. 15 हांसी में श्री रमेश के मकान से मुन्शी गोदारा के मकान तक सी.सी. स्ट्रीट निर्मित नहीं की गई (01 जून 2016)

इस प्रकार, ₹ 2.13 लाख की निधियों के दुरूपयोग के अवसरों का पता नहीं लगाया जा सकता। सचिव, एम.सी. हांसी ने बताया (जून 2016) कि साईट पर गली का निर्माण किया गया था। उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा एम.सी. हांसी के कनिष्ठ अभियंता के साथ मुहल्ले के निवासियों की उपस्थिति में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह पाया गया कि गली का निर्माण नहीं किया गया था।

4.1.5 मॉनीटरिंग

स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए, विभाग के अध्यक्ष के तौर पर निदेशक, यू.एल.बीज स्कीम का कार्यान्वयन मॉनीटर करने हेतु उत्तरदायी था। विभाग द्वारा नगरपालिकाओं से प्राप्त की जाने वाली मासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट सहित मानीटरिंग के लिए एक उपयुक्त

प्रणाली विकसित की जानी चाहिए थी ताकि जहां प्रगति संतोषजनक न हो वहां उपचारी कार्रवाई की जा सके। लेखापरीक्षा ने तथापि, अवलोकित किया कि विभाग ने स्कीम के कार्यान्वयन की मानीटरिंग नहीं की क्योंकि निर्माण कार्यों की प्रगति की कोई रिटर्न नगरपालिकाओं के लिए निर्धारित नहीं की गई थी।

4.1.6 निष्कर्ष

स्कीम उन क्षेत्रों में मूलभूत संरचना प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के साथ बनाई गई थी जिनमें एस.सी. जनसंख्या के निवासी थे। लेखापरीक्षा ने, तथापि, अवलोकित किया कि स्कीम के अंतर्गत निधियां एस.सी. जनसंख्या के विस्तार की बजाय कुल जनसंख्या के आधार पर नगरपालिकाओं के मध्य वितरित की गई थी। स्कीम का कार्यान्वयन बहुत धीमा था क्योंकि भारी मात्रा में निधियां नगरपालिकाओं के पास अव्ययित पड़ी रही। इसके अलावा, फरीदाबाद में अनधिकृत कालोनियों में ₹ 2.68 करोड़ का व्यय किया गया। आगे, निदेशालय स्तर पर मानीटरिंग का अभाव था।

4.2 नगरपालिकाओं द्वारा राजस्व संग्रहण सहित स्वयं की निधियों का प्रबंधन

4.2.1 प्रस्तावना

शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बीज) या नगरपालिकाएं शहरी क्षेत्रों में मूलभूत संरचनाएं एवं सेवाएं प्रदान करने हेतु मुख्य प्रशासनिक इकाइयां हैं। संविधान का अनुच्छेद 243X नगरपालिकाओं को उचित कर, शुल्क, टोल और फीस के उद्ग्रहण और संग्रहण करने के लिए प्राधिकार देने हेतु राज्य विधानसभा को शक्ति देता है।

यह निर्धारित करने के विचार से कि क्या नगरपालिकाओं द्वारा राजस्व के संग्रहण सहित अपनी निधियों का प्रबंधन सही था, 2011-16 की अवधि के लिए निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग तथा 23 नगरपालिकाओं[8] के अभिलेखों की फरवरी-जुलाई 2016 के दौरान नमूना-जांच की गई। नगरपालिकाओं का चयन प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनेट टू-साईज विद रिपलेसमेंट (पी.पी.एस.डब्ल्यू.आर.) पद्धति से किया गया था। इसके अतिरिक्त, आठ नगरपालिकाओं[9] की लेन-देन लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए लेखापरीक्षा परिणामों को भी अनुच्छेद में शामिल कर लिया गया है।

[8] (1) नगर निगम, पंचकूला (2) फरीदाबाद तथा (3) गुड़गांव (4) नगर परिषद, कैथल (5) जींद, (6) बहादुरगढ़, (7) पलवल तथा (8) नारनौल, (9) नगरपालिका, शाहबाद, (10) पेहोवा, (11) लाडवा, (12) पुंडरी, (13) निसिंग, (14) धारूहेड़ा, (15) सांपला, (16) बवानीखेड़ा, (17) घरौंडा, (18) कलांवाली, (19) रानिया, (20) झज्जर, (21) महेंद्रगढ़, (22) सिवानी तथा (23) समालखा।

[9] (1) नगर निगम, यमुनानगर, (2) करनाल, (3) हिसार, (4) नगर परिषद, फतेहाबाद, (5) हांसी, (6) होडल, (7) नगरपालिका, नारायणगढ़ तथा (8) हथीन।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.2.2 नगरपालिका कराधान

4.2.2.1 बजट अनुमान और स्वयं की निधियों की वास्तविक प्राप्ति

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं में 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के बजट अनुमान तथा स्वयं की निधियों की वास्तविक प्राप्तियां नीचे **तालिका 12** में दी गई हैं।

तालिका 12: बजट अनुमान और अपनी निधि की वास्तविक वसूली दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

अवधि	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	भिन्नताएं {वृद्धि (+) कमी (-)}	वसूली की प्रतिशतता
2011-12	1,226.18	636.17	(-) 590.01	52
2012-13	1,739.20	790.92	(-) 948.28	45
2013-14	1,649.37	866.48	(-) 782.89	53
2014-15	1,651.56	592.72	(-) 1,058.84	36
2015-16	2,012.18	929.03	(-) 1,083.15	46

गत पांच वर्षो के दौरान बजट अनुमानों एवं स्वयं के स्रोतों से वास्तविक प्राप्तियों में 36 एवं 53 प्रतिशत के मध्य श्रृंखलित भिन्नताएं थी। अनुमानित प्राप्तियों में कमी पूर्व संग्रहण के अनिर्धारण तथा राजस्व संग्रहण के लिए कार्ययोजना तैयार करने में विफलता के कारण थी। 23 नगरपालिकाओं में से 15 में, राजस्व संग्रहण 2011-12 के दौरान बजट अनुमानों के 80 प्रतिशत से कम था तथा कुल वसूली केवल 52 प्रतिशत थी **(परिशिष्ट 10)**। संबंधित नगरपालिकाओं ने बताया (मार्च-जुलाई 2016) कि कम प्राप्तियां स्टॉफ की कमी, संपत्ति कर के गलत निर्धारण एवं विकास शुल्क की कम वसूली के कारण थी। इस प्रकार, राजस्व संग्रहण यंत्रावली को सुदृढ़ करने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा इन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है।

4.2.2.2 संपत्ति कर की वसूली संबंधी लक्ष्य की अप्राप्ति

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 69 में प्रावधान है कि नगरपालिका भवन तथा जमीन के मालिक या रहने वाले द्वारा देय संपत्ति कर का उद्ग्रहण सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित दरों पर करेगी। हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 94 (4) और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 95, आगे प्रावधान करती है कि मुख्य रूप से उत्तरदायी व्यक्ति से कर के तौर पर देय कोई राशि वसूल करने में विफलता पर, सचिव/कार्यकारी अधिकारी उक्त राशि ऐसे व्यक्ति द्वारा देय किराया या लाइसेंस फीस कुर्की करके रहने वाले व्यक्ति से वसूल करेगा।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मार्च 2016 को अग्नि कर सहित ₹ 488.60 करोड़ राशि का संपत्ति कर लंबित था। **(परिशिष्ट 11)** जो 2015-16 के आरंभ में देय राशि का 53 प्रतिशत था।

वसूली की स्थिति धारूहेड़ा, पेहोवा और झज्जर की नगरपालिकाओं के संबंध में 2015-16 के दौरान मांग/बकायों का 10 प्रतिशत से कम थी। यह भी अवलोकित किया गया कि नगरपालिकाओं ने अधिग्राही द्वारा देय किराया और लाईसेंस फीस जब्त करके करों की देय राशि वसूल करने के लिए हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 94 (4) और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम की धारा 95 के अंतर्गत अधिकार का प्रयोग नहीं किया था।

संबंधित नगरपालिकाओं (चार नगरपालिकाओं[10] को छोड़कर) ने बताया (मार्च-जुलाई 2016) कि नोटिस जारी किए जाएंगे तथा वसूली तदनुसार कर ली जाएगी।

4.2.2.3 बिजली की खपत पर कर की अवसूली

हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 87 (2) और हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 की धारा 70(1) में नगरपालिका की सीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति द्वारा खपत किए गए बिजली के प्रत्येक यूनिट के लिए पांच पैसे की दर पर विद्युत की खपत पर कर के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान है। कर उत्तर/दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड/ (यू.एच.बी.वी.एन.एल./डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा संग्रहित किया जाना और नगरपालिकाओं को भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

चयनित नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि मांग और संग्रहण रजिस्टर नहीं रखे गए थे जैसा कि नगरपालिका खाता कोड, 1930 की धारा XI.15 के अंतर्गत अपेक्षित हैं। यू.एच.बी.वी.एन.एल./डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने न तो एम.सीज के क्षेत्र में खपत किए गए बिजली के यूनिटों का ब्यौरा प्रदान किया न ही उनके द्वारा संग्रहित कर की राशि का भुगतान/समायोजन किया (एम.सी. फरीदाबाद एवं हिसार को छोड़कर)। बिजली की वास्तविक खपत के ब्यौरे के अभाव में कर की राशि परिकलित नहीं की जा सकी। यू.एच.बी.वी.एन.एल./ डी.एच.बी.वी.एन.एल. से बिजली कर के वसूलने या समायोजन करने के लिए नगरपालिकाओं द्वारा कोई यंत्रावली विकसित नहीं की गई थी। इस प्रकार, बिजली कर के कारण भारी संभावित राजस्व अप्रयुक्त रहा।

संबंधित नगरपालिकाओं (नगर निगम, फरीदाबाद को छोड़कर) ने बताया (मार्च-जुलाई 2016) कि देय राशि बारे सूचना उनके पास उपलब्ध नहीं थी।

नगर निगम हिसार में मार्च 2015 को बिजली की खपत पर ₹ 2.59 करोड़ की राशि का कर डी.एच.बी.वी.एन.एल. से वसूलनीय था। कार्यकारी अधिकारी, एम.सी., हिसार ने बताया (जनवरी 2016) कि बिजली कर की वसूली के लिए डी.एच.बी.वी.एन.एल. को नोटिस जारी किए जाएंगे।

4.2.2.4 कार्रवाई न करने के कारण राजस्व की हानि

अधिनियम की धारा 352(2) के साथ पठित हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के अध्याय-18 में निहित प्रावधानों तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 128 में प्रावधान है कि विभिन्न व्यापार, व्यवसायिक गतिविधियां इत्यादि केवल नगरपालिका क्षेत्र में इन

[10] (1) फरीदाबाद, (2) गुड़गांव, (3) कैथल तथा (4) जींद।

प्रयोजनों के लिए अनुमति/लाईसेंस प्राप्त करने और अपेक्षित फीस के भुगतान के बाद ही की जा सकती है। आगे, नगर लेखा संहिता 1930 के अनुच्छेद IX.2 तथा IX.3 प्रावधान करते हैं कि लाईसेंस I, II तथा III फार्म में उपयुक्त रिकार्ड/रजिस्टर रखा जाए और कोई लाईसेंस एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा। अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि:

नगर निगम, पंचकुला और गुड़गांव में नगरपालिका क्षेत्रों में व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एम.सी., पंचकुला ने इसके अस्तित्व में आने (मार्च 2010) से मार्च 2016 तक व्यवसायिक गतिविधियों पर लाईसेंस फीस प्रभारित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.28 करोड़ (**परिशिष्ट 12**) (एम.सी., अंबाला द्वारा नियत लाईसेंस फीस के आधार पर परिकलित) के राजस्व की हानि हुई। एम.सी., गुड़गांव में ₹ 0.36 करोड़ इस कारण बकाया थे।

12 नगरपालिकाओं[11] में वाणिज्यिक गतिविधियां परिचालित करने वाली इकाइयों की संख्या निर्धारित नहीं की गई थी। इन नगरपालिकाओं के कार्यकारी अधिकारी/सचिव ने बताया (मार्च-जुलाई 2016) कि लाईसेंस फीस उन इकाइयों पर प्रभारित की जाती है जिन्होंने लाईसेंस के लिए आवेदन दिया था; वाणिज्यिक इकाइयों को पहचानने के लिए सर्वेक्षण नहीं किया गया था।

छः नगरपालिकाओं[12] ने 553 लाईसेंस इकाइयों की पहचान की थी और उनसे ₹ 8.51 लाख की लाईसेंस फीस वसूलनीय थी।

इस प्रकार, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लाईसेंस फीस के तौर पर राजस्व अप्रयुक्त रहा।

4.2.2.5 विकास शुल्क की अवसूली

सरकार ने फरीदाबाद और गुड़गांव के नगर निगम, अन्य नगर निगमों, नगर परिषद और नगरपालिकाओं के लिए क्रमशः ₹ 150 प्रति वर्ग गज, ₹ 100 प्रति वर्गगज, ₹ 50 प्रति वर्गगज और ₹ 30 प्रति वर्ग गज की दर पर अधिसूचित नागरिक सुविधाओं और मूलभूत संरचना की कमी वाले नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर स्थित भवनों/प्लाटों पर उद्ग्रहणीय विकास शुल्क के नियतन के लिए एक नीति नवंबर 2013 में (दिसंबर 2013 में जारी संशोधित मानकों के साथ पठित) तैयार की।

सरकार ने 25 नगरपालिकाओं में 376 कालोनियों के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं तथा मूलभूत संरचना की कमी वाले क्षेत्र घोषित किए (जनवरी-फरवरी और सितंबर 2014)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि मार्च 2016 तक संबंधित निवासियों से विकास शुल्क की वसूली नहीं की गई थी। दो वर्षों की समाप्ति के बाद भी प्रभारों का भुगतान करने के लिए मालिकों को मांग

[11] (1) कैथल, (2) जींद, (3) शाहबाद, (4) पेहोवा, (5) लाडवा, (6) निसिंग, (7) धारूहेड़ा, (8) सांपला, (9) बवानीखेड़ा, (10) घरौंडा, (11) झज्जर तथा (12) महेन्द्रगढ़।

[12] (1) पुंडरी 30 इकाइयों के ₹ 0.83 लाख, (2) कलांवाली: 57 इकाइयों के ₹ 3.09 लाख, (3) रानियां: 42 इकाइयों के ₹ 0.28 लाख, (4) महेन्द्रगढ़: 273 इकाइयों के ₹ 2.47 लाख, (5) सिवानी: 75 इकाइयों के ₹ 0.68 लाख तथा (6) समालखा: 76 इकाइयों के ₹ 1.16 लाख।

नोटिस जारी नहीं किए गए थे। परिणामस्वरूप, ₹ 177.80 करोड़ का राजस्व इन कालोनियों के निवासियों से वसूल न किया गया रह गया (**परिशिष्ट 13**)।

21 नगरपालिकाओं[13] ने बताया (नवंबर 2015 - जुलाई 2016) कि विकास शुल्क की वसूली के लिए नोटिस जारी किए जाएंगे। नगरपालिका, निसिंग ने बताया (अप्रैल 2016) कि निर्मित क्षेत्रों के विकास शुल्क अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय वसूल किए जाएंगे। नगर परिषद जींद ने बताया (जून 2016) कि जून 2014 से जून 2016 के दौरान अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करते समय ₹ 1.63 करोड़ वसूल कर लिए गए थे।

4.2.2.6 स्वचालित टैलर मशीनों (ए.टी.एम.) के डिश-एंटीना पर प्रतिस्थापन/लाईसेंस और प्रोसेसिंग फीस का अनुद्ग्रहण

हरियाणा नगर निगम/हरियाणा नगरपालिका (संचार और कनैक्टीविटी मूलभूत संरचना) बाईलॉज 2013 में प्रावधान है कि नगरपालिका के क्षेत्रों के भीतर सक्षम प्राधिकारी से इन बाईलॉज के अधीन लाईसेंस प्राप्त किए बिना कोई संचार मूलभूत संरचना नहीं बिछाया जाएगा/प्रतिस्थापित किया जाएगा। लाईसेंस प्रदान करने के लिए एक बार ₹ 5,000 की प्रतिस्थापन/लाईसेंस फीस और ₹ 1,000 प्रति डिश एंटीना की प्रोसेसिंग फीस (डी.टी.एच. के अंतर्गत प्रतिस्थापित डिश एंटीना से भिन्न) प्रभारित की जाएगी।

27 नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि ए.टी.एम. के डिश एंटीनाज के कारण प्रतिस्थापन तथा प्रोसेसिंग फीस संबंधित बैंकों पर प्रभारित नहीं की जा रही थी। नगरपालिकाएं तत्रैव बाईलॉज के प्रावधानों से अनभिज्ञ थी और कोई मांग नहीं भेजी गई। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिकाओं को ₹ 1.34 करोड़ (**परिशिष्ट 14**) के राजस्व की अप्राप्ति हुई।

संबंधित नगरपालिकाओं (फरीदाबाद और गुड़गांव को छोड़कर) ने बताया (नवंबर 2015 - जुलाई 2016) कि सभी बैंकों को नोटिस जारी किए जाएंगे।

4.2.2.7 चैकों के विलंब से प्रस्तुतिकरण के कारण राजस्व की अवसूली

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि तीन[14] नगरपालिकाओं ने 2003 से 2016 के दौरान चैक के द्वारा विभिन्न प्रभारों जैसे गृह कर, किराया, लाईसेंस फीस और तेहबजारी इत्यादि के तौर पर 78 मामलों में ₹ 30.23 लाख[15] प्राप्त किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ये चैक, बैंकों को नकदीकरण के लिए चैकों की वैधता अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किए गए तथा राशियां बैंकों द्वारा जमा नहीं की गई। परिणामस्वरूप राशि वसूल नहीं की जा सकी।

---

[13] (1) गुड़गांव, (2) कैथल, (3) बहादुरगढ़, (4) पलवल, (5) नारनौल, (6) यमुनानगर, (7) शाहबाद, (8) पेहोवा, (9) लाडवा, (10) पुंडरी, (11) सांपला, (12) बवानीखेड़ा, (13) घरौंडा, (14) कलांवाली, (15) रानिया, (16) झज्जर, (17) महेन्द्रगढ़, (18) सिवानी, (19) समालखा, (20) धारूहेड़ा तथा (21) हांसी।

[14] (1) यमुनानगर, (2) कैथल तथा (3) लाडवा।

[15] (1) यमुनानगर 39 मामलों में ₹ 12.90 लाख, (2) कैथल 35 मामलों में ₹ 17.03 लाख तथा (3) लाडवा 4 मामलों में ₹ 0.30 लाख।

नगर निगम, यमुनानगर के वरिष्ठ लेखा अधिकारी ने बताया (फरवरी 2016) कि ₹ 12.90 लाख में से, ₹ 21,500 नगरपालिका निधि में जमा करवा दिए गए थे। सचिव, नगरपालिका, लाडवा (अप्रैल 2016) ने बताया कि फर्मों को नोटिस जारी किए जाएंगे, जबकि कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, कैथल ने बताया (अप्रैल 2016) कि स्टॉफ की कमी के कारण बैंक मिलान नहीं किया जा सका।

4.2.3 अतिरिक्त निधियों का अनिवेश

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 60 में प्रावधान है कि केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों तथा ऐसी अन्य सार्वजनिक प्रतिभूतियों जैसा कि राज्य सरकार इस हेतु विनिर्दिष्ट करें, में अतिरिक्त निधियों को निवेश करना विधि संगत होगा।

नमूना-जांच की गई नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सात नगरपालिकाओं के पास ₹ 41.02 करोड़[16] की औसतन अतिरिक्त निधियां थी परंतु ये सरकारी प्रतिभूतियों या अन्य किसी सार्वजनिक प्रतिभूतियों में निवेश नहीं की गई थी और बचत बैंक खातों में रखी गई थी। यदि इन निधियों का निवेश सावधि जमाओं में कर दिया जाता तो नगरपालिकाएं ₹ 3.59 करोड़[17] का ब्याज अर्जित कर लेती।

छः नगरपालिकाओं[18] के कार्यकारी अधिकारियों/सचिवों ने बताया (अप्रैल-जुलाई 2016) कि अतिरिक्त निधि को भविष्य में निवेश किया जाएगा जबकि नगरपालिका, शाहबाद के सचिव ने बताया (मार्च 2016) कि नगरपालिका की निधियां स्टॉफ के वेतन के रूप में बकाया देयता के कारण निवेश नहीं की जा सकी।

नगरपालिका, शाहबाद का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि दो वर्षो से लगातार अतिरिक्त निधियां थी और निधियां प्रावधानों के अनुसार निवेश की जानी अपेक्षित थी।

4.2.4 बैंक मिलान नहीं किया गया

नगर परिषद, कैथल के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि कैशबुक में ₹ 3.01 लाख की राशि चैक द्वारा एक ठेकेदार को भुगतान की गई दर्शाई गई थी (अक्तूबर 2014)। तथापि, इस चैक के विरूद्ध बैंक द्वारा ₹ 3.69 लाख डेबिट किए गए थे। इस प्रकार, बैंक द्वारा ₹ 0.68 लाख का अधिक डेबिट किया गया। परिषद ने बैंक खाते का कैशबुक के साथ मिलान नहीं किया था।

---

16 (1) शाहबादः ₹ 0.55 करोड़, (2) पुंडरीः ₹ 0.46 करोड़, (3) धारूहेड़ाः ₹ 25.57 करोड़, (4) सांपलाः ₹ 4.38 करोड़, (5) बहादुरगढ़ः ₹ 5.01 करोड़, (6) झज्जरः ₹ 2.12 करोड़ तथा (7) समालखाः ₹ 2.93 करोड़।

17 (i) शाहबादः ₹ 0.04 करोड़ (2014-16), (ii) पुंडरीः ₹ 0.02 करोड़ (2015-16), (iii) धारूहेड़ाः ₹ 2.05 करोड़ (2014-15), (iv) सांपलाः ₹ 0.88 करोड़ (2011-16), (v) बहादुरगढ़ः ₹ 0.20 करोड़ (2015-16), (vi) झज्जरः ₹ 0.17 करोड़ (2014-16) तथा (vii) समालखाः ₹ 0.23 करोड़ (2014-16)।

18 (i) पुंडरी, (ii) झज्जर, (iii) सांपला, (iv) धारूहेड़ा, (v) समालखा तथा (vi) बहादुरगढ़।

इसी प्रकार, नवंबर 2015 में ₹ 17.25 लाख की एक राशि बैंक द्वारा डेबिट की गई दर्शाई गई थी। परंतु इस भुगतान की तदनुरूप प्रविष्टि कैशबुक में नहीं पाई गई। बैंक द्वारा भुगतान के समर्थन में संबंधित अभिलेख/वाऊचर परिषद के पास उपलब्ध नहीं थे। अभिलेखों के अभाव में, निधियों के दुर्विनियोजन की संभावना का पता नहीं लगाया जा सकता।

नगर परिषद, कैथल ने बताया (अप्रैल 2016) कि जांच के बाद इन मामलों में उचित कार्यवाही की जाएगी।

4.2.5 निष्कर्ष

नगरपालिकाओं द्वारा राजस्व के संग्रहण के लिए व्यवस्था त्रुटिपूर्ण थी क्योंकि करों, प्रभारों और फीस जैसे संपत्ति कर, बिजली की खपत पर कर, विकास शुल्क, ए.टी.एम. डिश एंटीना फीस तथा विभिन्न व्यापार और वाणिज्यिक गतिविधियों इत्यादि के कारण लाईसेंस फीसों के भारी बकाया थे। अधिक ब्याज अर्जित करने के लिए अधिशेष निधियों का निवेश नहीं किया गया था। प्राप्तियों के बजट अनुमान गत वर्ष के लिए संग्रहण के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

4.3 सेवा कर से छूट का लाभ न उठाना

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के अंतर्गत मानवशक्ति की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों द्वारा स्थानीय प्राधिकरण को प्रदान की गई सेवाएं सेवा कर से छूट प्राप्त थी, जहां नगरपालिकाओं को मानवशक्ति की आपूर्ति स्वच्छता प्रयोजन के लिए की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार जुलाई 2012 से नगरपालिकाओं द्वारा स्वच्छता प्रयोजन के लिए आपूरित मानवशक्ति के बिलों पर मानशक्ति की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को सेवा कर देना अपेक्षित नहीं था।

अभिलेखों की संवीक्षा ने दर्शाया कि उपर्युक्त अनुसार आठ[19] नगरपालिकाओं ने छूट का लाभ नहीं उठाया और जुलाई 2012 से जुलाई 2013 के दौरान स्वच्छता प्रयोजनों के लिए मानवशक्ति की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को ₹ 64.47 लाख राशि के सेवा कर का भुगतान किया परिणामतः नगरपालिकाओं पर परिहार्य वित्तीय भार हुआ।

मामला हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (जुलाई 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

---

[19] (i) नगरपरिषद, होडलः ₹ 0.38 लाख (मार्च 2013), (ii) नगरपालिका, तावडूः ₹ 0.48 लाख (फरवरी 2013 से जून 2013), (iii) नगरपरिषद, फतेहाबादः ₹ 9.02 लाख (सितंबर 2012 से मार्च 2013), (iv) नगरपालिका, भूनाः ₹ 0.35 लाख (अप्रैल 2013 से मई 2013), (v) नगरपालिका, नूंहः ₹ 0.91 लाख (मई 2013 से जुलाई 2013), (vi) नगरपालिका, टोहानाः ₹ 4.42 लाख (जुलाई 2012 से दिसंबर 2012), (vii) नगरपरिषद, सोनीपतः ₹ 23.56 लाख (जुलाई 2012 से फरवरी 2013) तथा (viii) नगरपरिषद, पलवलः ₹ 25.35 लाख (अप्रैल 2013 से जनवरी 2014)।

4.4 किराया प्राप्तियों पर सेवा कर की अवसूली

वित्तीय अधिनियम, 1994 की धारा 65(105) (जेड.जेड.जेड.जेड) के अनुसार, अचल संपत्ति को किराए पर देने के लिए कर-योग्य सेवा से अभिप्राय किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति द्वारा व्यवसाय या वाणिज्य के विस्तार के कार्य में प्रयोग के लिए अचल संपत्ति को किराए पर देने के संबंध में प्रदान की गई अथवा प्रदान की जाने वाली सेवा है। अचल संपत्ति में अचल संपत्ति को किराए पर देना, लेटिंग, पट्टे पर देना, लाईसेंस देना या इसी प्रकार की अन्य समान व्यवस्थाएं शामिल हैं। 1 जुलाई 2007 से निषेधात्मक सूची को प्रारंभ करने के साथ धारा-66 ख निषेधात्मक सूची में निर्दिष्ट से अन्य प्रदान की गई सेवाओं के मूल्य पर निर्धारित दरों[20] पर सेवा कर के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है।

आठ नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि नगरपालिकाओं की दुकानें/बूथ/जमीनें मासिक किराए के आधार पर किराए पर दी गई थी। नगरपालिकाएं 2007 से 2015 के दौरान किराए से प्राप्तियों पर ₹ 1.31 करोड़ सेवा कर इसे किराएदारों से संग्रहित करके भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी क्योंकि निषेधात्मक सूची में सेवाएं नहीं थी। यह देखा गया कि नगरपालिकाओं ने किराएदारों से सेवा कर का संग्रहण नहीं किया था। आगे, चार नगरपालिकाओं ने ₹ 42.59 लाख की राशि का सेवा कर तथा ब्याज और पेनल्टी के तौर पर ₹ 6.16 लाख किराएदारों से वसूल किए बिना अपने स्वयं के संसाधनों से जमा करवाए थे। **(परिशिष्ट 15)**।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (जुलाई 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

4.5 विज्ञापन के लिए स्थान के विक्रय पर सेवा कर की अवसूली के कारण हानि

वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 65 (105 (जेड.जेड.जेड.एम.) के अनुसार 'विज्ञापन प्रयोजन के लिए जगह का विक्रय' मई 2006 से एक कर-योग्य सेवा है। यह सेवा, जुलाई 2012 से प्रभावी अधिनियम की धारा 66-डी. के अंतर्गत निषेधात्मक सूची के अधीन आ गई। अतः यह सेवा केवल मई 2006 से जुलाई 2012 की अवधि के लिए कर योग्य थी। आगे, अधिनियम की धारा-87 में केंद्रीय सरकार को देय सेवा कर की किसी राशि की वसूली का प्रावधान निहित है।

नगर निगम करनाल (एम.सी.के.) के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि इसने विज्ञापन प्रयोजन के लिए विज्ञापन एजेंसियों को जगह बेची (2006-09) और एजेंसियों से ₹ 2.34 करोड़ (अगस्त 2006 से सितंबर 2009) प्राप्त किए **(परिशिष्ट 16)** तथापि, एजेंसियों पर नगरपालिका और प्रत्येक एजेंसियों के बीच निष्पादित अनुबंध में एजेंसियों पर सेवा कर के उद्ग्रहण के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

---

[20] वर्ष 2008-09 तथा 2012-13 से 2013-14 तक के लिए 12.36 प्रतिशत की दर पर तथा वर्ष 2009-10 से 2011-12 के लिए 10.30 प्रतिशत पर।

आगे, सेवा कर विभाग ने अधिनियम की धारा-87 के अधीन नगरपालिका से ₹ 28.37 लाख राशि का सेवा कर[21] वसूल कर लिया (मई 2013)। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिका को हानि हुई क्योंकि उसने एजेंसियों पर सेवा कर नहीं लगाया था और इसका भुगतान नगरपालिका द्वारा करना पड़ा।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (सितंबर 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

4.6 मानवशक्ति आपूरित करने वाली एजेंसियों को ई.पी.एफ. का अधिक भुगतान

कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में निहित प्रावधानों के अनुसार, ई.पी.एफ. अंशदान जून 2001 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान ₹ 6,500/-प्रति माह की अधिकतम श्रम सीमा पर भुगतान योग्य था।

नगरपरिषद परिषद, हांसी और नगर निगम, हिसार ने सेवा प्रदाताओं से सफाई स्टॉफ की सेवाओं को आउटसोर्स किया। इन नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने प्रकट किया कि सेवा प्रदाताओं ने स्टॉफ से ₹ 6,500/-प्रति माह की सीमा की बजाय सफाई स्टॉफ के वास्तविक वेतनों पर ई.पी.एफ. का दावा किया। इसके परिणामस्वरूप सेवा प्रदाताओं को अप्रैल 2013 से जून 2014 के दौरान ₹ 11.09 लाख का अधिक भुगतान हुआ **(परिशिष्ट 17)**।

इंगित किए जाने पर, संबंधित नगरपालिकाओं ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया (जनवरी 2016) कि अधिक भुगतान की वसूली संबंधित सेवा प्रदाताओं से कर ली जाएगी।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

4.7 सोलिड वेस्ट प्रबंधन से संबंधित अनियमितताएं

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 और हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 में प्रावधान है कि सोलिड वेस्ट प्रबंधन नगरपालिका का कार्य है। आगे, नगरपालिका सोलिड वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम, 2000 में प्रावधान है कि प्रत्येक नगर निगम प्राधिकरण, नगर सोलिड वेस्ट के संग्रहण, स्टोरेज, पृथक्करण, परिवहन, संसाधन और निपटान के लिए उत्तरदायी है। केंद्रीय वित्त आयोगों ने समय-समय पर इस बात पर भी बल दिया कि स्थानीय निकायों को जलापूर्ति, सीवरेज, सोलिड वेस्ट प्रबंध इत्यादि जैसी मूलभूत सेवाओं पर ग्रांट्स खर्च करनी चाहिए।

---

21 18 अप्रैल 2006 से 10 मई 2007 तक सेवा कर की दर 12.24 प्रतिशत; 11 मई 2007 से 23 फरवरी 2009 तक सेवा कर की दर 12.36 प्रतिशत तथा 24 फरवरी 2009 से 31 मार्च 2012 तक सेवा कर की दर 10.30 प्रतिशत थी।

सोलिड वेस्ट प्रबंधन से संबंधित निम्न अनियमितताएं देखी गई:

(i) नगरपालिका फिरोजपुर झिरका (मेवात) ने, शहरी स्थानीय निकाय विभाग से सहायता अनुदान के रूप में ₹ 47 लाख सोलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट (एस.डब्ल्यू.एम.पी.) प्रस्थापित करने के लिए प्राप्त किए (जनवरी से मार्च 2006)। उपयोगिता ग्रांट्स की संस्वीकृति में था कि यह निधियां राजकोष से आहरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर प्रयुक्त कर ली जाएंगी। उपयोगिता अवधि समाप्ति के बाद अव्ययित बची कोई राशि सरकारी कोषालय में जमा करवाई जानी अपेक्षित थी। एम.सी. ने पूर्ण निधि बैंक खाते में रखी; जो ब्याज के साथ जमा होकर ₹ 53.51 बन गई (अक्तूबर 2015)। निधियां, नौ वर्षों से अधिक समय बीतने के बावजूद भी अव्ययित पड़ी रही। अनुप्रयोग अवधि बीतने के बाद निधियों को रखना अनधिकृत था साथ ही शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अनुदान निर्मुक्त करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

(ii) नगर परिषद जींद ने एस.डब्ल्यू.एम.पी. के संस्थापन हेतु ग्राम पंचायत (जी.पी.), राम राय में भूमि खरीदने के लिए सहायता अनुदान के रूप में ₹ 1.35 करोड़ राशि की निधियां प्राप्त की (अगस्त 2013)। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि भूमि खरीदने की बजाय, नगरपालिका ने 33 वर्षों के लिए पट्टे पर 7 एकड़-8 कनाल भूमि लेने के लिए जी.पी. राम राय के साथ पट्टा अनुबंध कर लिया (मई 2014) और स्टाम्प शुल्क एवं पट्टा किराए पर ₹ 10.73 लाख व्यय किए (जुलाई 2014)। बाद में, भूमि पर मुकद्दमेबाजी के कारण पट्टा डीड रद्द कर दी गई (जून 2015)। प्रयोजन के लिए भूमि अभी तक खरीदी नहीं गई थी (दिसंबर 2016)।

कार्यकारी अधिकारी, एम.सी. जींद ने बताया (जून 2016) कि जींद जिले के लिए जींद में प्रस्तावित समूह स्कीम के अधीन जींद जिले के लिए सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने पर विचार किया जा रहा था। तथ्य रह जाता है कि प्रयोजन के लिए निधियों की निर्मुक्ति के तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भूमि खरीदी नहीं गई थी।

(iii) नगर निगम यमुनानगर-जगाधरी (एम.सी.वाई.) के लिए लघु और मध्यम टाउन के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) के अधीन एस.डब्ल्यू.एम.पी. ₹ 11.28 करोड़ की लागत पर पूर्ण की गई (दिसंबर 2012)। एम.सी.वाई ने 30 वर्षों के लिए नगरपालिका सोलिड वेस्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियम 2000 (नियम) के अनुरूप नगरपालिका सोलिड वेस्ट के प्रणालीगत उपचार, प्रक्रिया और निपटान के लिए एक फर्म के साथ अनुबंध किया (अगस्त 2012)। अनुबंध के क्लॉज 8.2 में प्रावधान था कि आपरेटर द्वारा किसी चूक की स्थिति में, एम.सी.वाई. को अनुबंध समाप्त करने और निष्पादन जमानत ले लेने का हक होगा।

कार्यकारी अधिकारी एम.सी.वाई. ने बताया (जनवरी 2017) कि फर्म के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था; और संबंधित बैंक को ₹ 65 लाख की निष्पादन प्रतिभूति जब्त करने का अनुरोध किया गया (अगस्त 2015 से दिसंबर 2016)। बैंक गारंटी का नकदीकरण अभी भी प्रतीक्षित था (दिसंबर 2016)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एस.डब्ल्यू.एम.पी. दिसंबर 2014 से अपरिचालित था और उचित ट्रीटमेंट के बाद सोलिड वेस्ट का निपटान नहीं किया जा रहा था। तथापि, जब चूककर्ता फर्म के विरूद्ध कार्यवाही की गई थी, दो वर्षों से अधिक समय तक इसके बंद रहने के बावजूद किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से एस.डब्ल्यू.एम.पी. को परिचालित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

(iv) नगर निगम फरीदाबाद (एम.सी.एफ.) और नगर निगम गुड़गांव (एम.सी.जी.) ने एकीकृत नगरपालिका सोलिड वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स के विकास और सेनिटरी लैंडफिल के लिए अनुबंध किया (अक्तूबर 2008)। अनुबंध के अनुसार, एम.सी. गुड़गांव द्वारा 2008 में गांव बंधवाड़ी, गुड़गांव में 30.5 एकड़ भूमि पट्टे पर एम.सी. फरीदाबाद को 30 वर्ष के लिए दी जानी थी और एम.सी. फरीदाबाद द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन किया जाना था और 30 वर्षों के लिए विकास, परिचालन और रख-रखाव के लिए भी उत्तरदायी थी। आगे, एम.सी.एफ. ने 30 वर्षों के लिए एस.डब्ल्यू.एम.पी. के परिचालन और रख-रखाव के लिए एक फर्म के साथ अनुबंध किया (सितंबर 2009)। एकीकृत एस.डब्ल्यू.एम.पी. ₹ 78.95 करोड की लागत पर पूर्ण की गई (जनवरी 2010) और दिसंबर 2010 में कार्यचालित हुई।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि अक्तूबर 2013 से अक्रियाशील था और सोलिड वेस्ट को प्लांट स्थल पर डम्प किया जा रहा था। फर्म से एम.सी.एफ. की मशीनरी ले जाने और फर्म को दी गई मशीनरी/वाटर टैंकर के किराए प्रभार के तौर पर ₹ 9.81 करोड़ की राशि वसूलनीय थी। इसके अतिरिक्त, एम.सी.जी. ने प्लांट स्थल पर स्वच्छता कार्य पर और फर्म की ओर से लंबित बिजली बिलों पर ₹ 19.89 लाख व्यय किए (सितंबर से दिसंबर 2013)। आगे, एस.डब्ल्यू.एम.पी. के अक्रियाशील होने और सीधे लैंडफिल में वेस्ट जमा करने के कारण दुर्गंध हो गई परिणामस्वरूप एम.सी.जी. को एक वर्ष के लिए अन्य फर्म को ₹ 2.50 लाख प्रतिमास की दर पर डम्प वेस्ट पर बायो-कल्चर स्प्रे का कार्य आबंटित करना पड़ा (मई 2014)। एस.डब्ल्यू.एम.पी. गत तीन वर्षों से बंद पड़ा था जिसके परिणामस्वरूप अभिप्रेत लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ था।

आयुक्त एम.सी.एफ. ने बताया (दिसंबर 2016) कि ₹ तीन करोड़ की निष्पादन जमानत जब्त कर ली गई थी और फर्म द्वारा एस.डब्ल्यू.एम.पी. के अपरिचालन के कारण वसूली और अन्य देय का मामला आरबीट्रेटर के पास लंबित है।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

4.8 मस्टर रोल्ज का अनुचित रख–रखाव और जाली भुगतान

सी.पी.डी.ओ. रोहतक के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2015) ने प्रकट किया कि विकास कार्य करने के लिए नगर निगम रोहतक (एम.सी.आर.) द्वारा 13 मस्टर रोल्ज पर वास्तविक प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह प्राप्त किए बिना ₹ 3.25 लाख (**परिशिष्ट 18**) के भुगतान किए गए। फिर भी, भुगतान एम.सी.आर. के सचिव तथा अध्यक्ष द्वारा पारित कर दिए गए तथा कैशबुक में भुगतान किए दर्शाए गए।

आगे, यह भी देखा गया कि छः व्यक्तियों को ''सौरा मोहल्ला, रोहतक में कुम्हारां चौपाल के निर्माण'' (तिथियां 6 से 20 अक्तूबर 2010) और उसी अवधि के दौरान ''पुराना सदर थाना, रोहतक के पास कबीर धर्मशाला का निर्माण'' कार्य के मस्टर रोल्ज पर एक साथ नियुक्त दिखाया गया था।

दो विभिन्न स्थलों पर उन्हीं व्यक्तियों की एक साथ नियुक्ति संभव नहीं है, नियुक्त व्यक्तियों के हस्ताक्षर/अंगूठा चिन्ह लिए बिना 13 मस्टर रोल्ज पर किए गए सारे भुगतान संदेहपूर्ण थे। ऐसे भुगतान निधियों के दुरूपयोग के जोखिम से परिपूर्ण हैं।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

4.9 निधियों का विपथन

राजीव गांधी शहरी विकास मिशन हरियाणा (आर.जी.यू.डी.एम.एच.) के लिए वैट पर सरचार्ज के हिस्से के तहत ग्रांट की उपयोगिता के लिए मार्गनिदेशों के अनुसार, ग्रांट का उपयोग स्वच्छता, सफाई, सोलिड वेस्ट प्रबंध तथा अन्य नागरिक मूलभूत संरचना जैसी शहरी मूलभूत संरचना के लिए किया जाना था। यदि भुगतान इन परियोजना से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जाना है, तो समुचित औचित्य के साथ सरकार की अनुमति मांगी जाएगी। इसी प्रकार, केंद्रीय वित्त आयोग (सी.एफ.सी.) और राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.ओ.) की सिफारिशों पर अनुदान के तौर पर निधियां निर्मुक्त करने वाली संस्वीकृतियों में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था कि निधियों का उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जाएगा।

सात[22] नगरपालिकाओं के अभिलेखों की संवीक्षा ने (सितंबर 2015–मार्च 2016) प्रकट किया कि ₹ 11.87 करोड़ राशि की निधियां आर.डी.जी.यू.एम.एच. के लिए वैट पर सरचार्ज के हिस्से के अधीन और सी.एफ.सी. और एस.एफ.सी. की सिफारिशों (**परिशिष्ट 19**) के अंतर्गत निर्मुक्त ग्रांट्स में से वेतन, बकाया, स्टॉफ के भत्तों और मजदूरी, लेखापरीक्षा फीस इत्यादि के भुगतान

[22] नगर निगम, फरीदाबाद तथा हिसार; नगर परिषद, मंडी डबवाली; नगरपालिका, भूना; नूंह, सिवानी तथा बवानीखेड़ा।

के लिए विपथित की गई थी। आगे, आर.जी.यू.डी.एम.एच. निधियों में से वेतन, मजदूरी इत्यादि पर राशि खर्च करने के लिए समय सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्रों में उस सीमा तक विकास कार्यों का निष्पादन नहीं हुआ।

मामला प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेजा गया था (अगस्त 2016); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।

चण्डीगढ़ **(महुआ पाल)**
दिनांकः **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा**

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1
(संदर्भः अनुच्छेद 1.3.2 ; पृष्ठ 4)
राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर–तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	महानिदेशक, विकास एवं पंचायत	1	1	0
2.	संयुक्त निदेशक	2	1	1
3.	उप–निदेशक	2	2	0
4.	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी	21	13	8
5.	प्रिंसीपल	2	1	1
6.	मुख्य अभियंता	1	1	0
7.	अधीक्षक अभियंता	5	5	0
8.	सहायक निदेशक	2	2	0
9.	विधि अधिकारी	25	19	6
10.	कार्यकारी अभियंता	24	23	1
11.	विशेष कार्य अधिकारी (विकास एवं परियोजना अधिकारी)	1	0	1
12.	उप–मंडल अभियंता	131	130	1
13.	अधीक्षक	10	6	4
14.	खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी	126	99	27
15.	इंस्ट्रक्टर	7	3	4
16.	अनुसंधान अधिकारी	1	1	0
17.	उप–अधीक्षक	50	35	15
18.	सहायक	333	256	77
19.	निजी सहायक	2	2	0
20.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	3	0	3
21.	सामाजिक शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी	126	37	89
22.	जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर	7	6	1
23.	स्टेनो टाईपिस्ट	164	42	122
24.	लिपिक	349	210	139
25.	ड्राईवर	170	135	35
26.	लाईब्रेरियन	2	1	1
27.	कनिष्ठ अभियंता	519	519	0
28.	लेखाकार	159	129	30
29.	लेखा लिपिक	154	02	152
30.	ग्राम सचिव	2,237	1,802	435
31.	पटवारी	116	43	73
32.	सर्कल हैड ड्राफ्टसमैन	05	05	0
33.	हैड ड्राफ्टसमैन	26	26	0
34.	ड्राफ्टमैन	24	23	1
35.	रेस्टोरर	1	0	1
36.	दफ्तरी	1	1	0
37.	मशीनमैन	1	1	0
38.	जमादार	2	2	0
39.	चपरासी	472	322	150
40.	स्वीपर–सह–चौकीदार	26	07	19
41.	माली–सह–चौकीदार	139	60	79
42.	कुक	4	4	0
	कुल	**5,453**	**3,977**	**1,476**

परिशिष्ट 2
(संदर्भः अनुच्छेद 1.3.2; पृष्ठ 4)
राज्य में जिला परिषदों में स्टॉफ (तकनीकी एवं गैर-तकनीकी) की स्थिति

क्र.सं.	पद का नाम	संस्वीकृत पद	तैनाती	रिक्त
1.	उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी	21	13	8
2.	लेखा अधिकारी	21	10	11
3.	अधीक्षक	21	0	21
4.	लेखाकार	21	7	14
5.	सहायक	40	15	25
6.	सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर	21	1	20
7.	स्टेनो टाईपिस्ट	21	6	15
8.	लिपिक	21	9	12
9.	लेखा लिपिक	21	10	11
10.	ड्राईवर	21	10	11
11.	चौकीदार-सह-माली	21	3	18
12.	चपरासी	40	12	28
13.	स्वीपर	21	4	17
कुल		**311**	**100**	**211**

परिशिष्ट 3
(संदर्भः अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 7)
नमूना–जांच की गई पंचायत समितियों और ग्राम पंचायत की सूची

क्र. सं.	पंचायत समितियों के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
1.	पटौदी	(1) बिलासपुर, (2) भोकरका, (3) बाराहारी रेहनवा, (4) बालेवा, (5) मिर्जापुर, (6) मानागवाकी, (7) महनियावास, (8) खानपुर, (9) फखरपुर, (10) लोकारी, (11) शेरपुर
2.	फारूखनगर	(1) खडेवला, (2) गढ़ी नाथी खान, (3) बिरहेरा, (4) त्रिपडी, (5) पालरी, (6) झंझरोला खेड़ा
3.	गुड़गांव	(1) बजघेड़ा, (2) धर्मपुर, (3) खेरकी, (4) खोह, (5) नैनवाल, (6) नौरंगपुर
4.	सोहना	(1) अलीपुर, (2) हाजीपुर, (3) कुलियाका, (4) मैदावास, (5) सर्माथला
5.	सांपला	(1) दतौर, (2) गंधरा, (3) गड़ी सांपला, (4) गिज्जी, (5) भैंसरू कलां (6) पाकसमा, (7) समचना
6.	रोहतक	(1) आसन, (2) कानसाला, (3) लाढोत, (4) मकरोली कलां, (5) रिठोली, (6) रिठाल फोगट, (7) ताजा माजरा
7.	कलानौर	(1) पातवापुर, (2) काकराना, (3) तैमुरपुर, (4) मरोदी जट्टान
8.	महम	(1) अजैब, (2) भैनी चंद्रपाल, (3) कृष्णगढ़ (4) मोखडा खेड़ी, (5) मोखड़ा खानदेन छाजन
9.	लाखनमाजरा	(1) बैंसी, (2) सासरोली, (3) लाखन माजरा, (4) चांदी
10.	पिल्लूखेड़ा	(1) लुदाना, (2) राजाना खुर्द, (3) अलानजोगी खेड़ा, (4) धरोली, (5) बुरैन
11.	सफीदों	(1) बहादुरगढ़, (2) आफताबगढ़, (3) भुसलाना, (4) नीमनाबाद, (5) रोझला (6) नया गांव सिवानामल, (7) मालार, (8) टोदी खेड़ी, (9) सिलाखेड़ी
12.	अलेवा	(1) दुराना, (2) नगूरां, (3) अलेवा, (4) नगूरां निमरन, (5) शामदो
13.	जींद	(1) रामराय, (2) निदाना, (3) बराह खुर्द, (4) जलालपुर खुर्द, (5) गोबिंदपुरा, (6) घीमाना, (7) रामगढ़, (8) मनोहरपुर, (9) नीदानी
14.	जुलाना	(1) रामकली, (2) दयोरड़, (3) मालवी, (4) लजवाना खुर्द, (5) पडाना, (6) झमोला,
15.	नरवाना	(1) रेवड़, (2) गढ़ी, (3) सिंहवाल, (4) सिंनसार, (5) फरैन खुर्द
16.	उचाना	(1) अलीपुरा, (2) खटकड़, (3) मोहनगढ़ (4) तरखा, (5) करसिंधू, (6) पलवन
17.	थानेसर	(1) आजरानी, (2) बाजीदपुर, (3) भिवानी खेड़ा, (4) बिशनगढ़, (5) दबखेड़ी, (6) धुराली, (7) गोबिंद माजरा, (8) हरियापुर, (9) जोगन खेड़ा (10) खेड़ी राम नगर, (11) किरमच, (12) मलिक पुर, (13) उदारसी, (14) शादीपुर लाडवा, (15) पट्टी किशन पुरा

क्र. सं.	पंचायत समितियों के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
18.	लाडवा	(1) बापदा (2) बरोंदा, (3) भल्लार, (4) बहलोलपुर, (5) बुधा, (6) गजलाना, (7) घरौला, (8) गुधा, (9) गुधी (10) सोनती
19.	इस्माईलाबाद	(1) अजराना खुर्द, (2) अजरावर, (3) भुसताला, (4) फतेहगढ़ छामू, (5) इस्माईलाबाद, (6) खेड़ी शाहीदन, (7) माजरी कलां
20.	शाहबाद	(1) मोहीदीन पुर, (2) तिगरी, (3) जोगी माजरा, (4) बाकाना, (5) हाबाना, (6) जैन पुर, (7) नागला, (8) हरी पुर, (9) कालसानी, (10) गोरी पुर, (11) मोहन पुर, (12) सुलखनी
21.	बबैन	(1) जलखेड़ी, (2) रामपुरा, (3) नखरोजपुर, (4) बीर मंगोली, (5) लखमड़ी, (6) खिरकी विरान, (7) मंगोली जाटान
22.	पेहवा	(1) जुलमत, (2) जाखावाला, (3) ककराला गुजरां, (4) हमीरा फार्म, (5) सयना सैदन, (6) सुरमी

कुल ग्राम पंचायतें: 157 ग्राम पंचायतें

परिशिष्ट 4
(संदर्भः अनुच्छेद 2.3 ; पृष्ठ 10)
मनरेगा के अंतर्गत मजदूरियों के भुगतान में विलंब दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ लाख में)

ब्लॉक का नाम	वर्ष	15-30 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		30-60 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		60-90 दिनों के मध्य विलंबित भुगतान		90 दिनों से अधिक विलंबित भुगतान	
		ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि	ट्रांजेक्शनस	राशि
रतिया	2012-13	4,354	63.70	2,532	33.50	423	5.13	152	2.69
	2013-14	5,495	94.07	13,894	217.91	1,511	20.49	589	6.18
कुल		**9,849**	**157.77**	**16,426**	**251.41**	**1,934**	**25.62**	**741**	**8.87**
कुल मामले: 9,849 + 16,426 + 1,934 + 741 = 28,950									
कुल राशि: ₹ 157.77 लाख + ₹ 251.41 लाख + ₹ 25.62 लाख + ₹ 8.87 लाख = ₹ 443.67 लाख									

परिशिष्ट 5
(संदर्भः अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 11)
भूतपूर्व सरपंचों/पंचों से वसूलनीय राशि के ब्योरे

क्र. सं.	बी.डी.पी.ओ. का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	भूतपूर्व सरपंचों की संख्या	अवधि	राशि (₹ लाख में)
1.	जुलाना	हथवाला	5	1995-15	0.41
		रामकली	2	2000-15	0.25
		मालावी	1	2000-05	0.50
		लजबाना कलां	1	2000-05	0.51
		पडाना	1	1995-2000	0.26
		झमोला	2	1995-2005	0.64
		अनूपगढ़	2	2005-15	0.43
2.	उचाना	पालावा	4	1995-2000	1.39
		मोहन गढ़	1	2000-05	0.52
		करसिंधू	1	2000-05	0.06
		तरखा	1	1990-95	0.02
		खटकड़	1	2014-15	0.11
3.	नरवाना	रेवर	2	1995-2000	0.98
		गढ़ी	1	2005-10	0.13
		सिंगवाल	1	2005-10	0.19
		सिंसार	1	2005-10	0.32
		फरेन खुर्द	1	1995-2000	0.19
4.	जींद	रामराय	1	1990-95	0.19
		निडाना	2	1995-05	0.43
		बराह खुर्द	1	2000-05	0.20
		जलालपुर खुर्द	1	1995-2000	0.16
5.	बबैन	जलखेड़ी	2	2000-10	1.48
		रामपुरा	3	1995-10	0.36
		नखरोज पुर	1	2010-15	0.03
6.	इस्माईलाबाद	अजरना खुर्द	8	2000-10	6.08
		भुस्थला	2	2005-10	0.10
7.	शाहबाद	मोहिदीनपुर	2	2000-05	0.09
		टीगरी	1	2005-10	0.08
		जोगीमाजरा	1	2005-10	0.64
8.	थानेसर	भिवानी खेड़ा	1	2005-10	1.56
		मुनीर पुर	1	2005-10	0.23
		गोबिंद माजरा	1	2005-10	0.15
9.	अलेवा	शामदो	1	जुलाई 2015 से	0.08
10.	सफीदों	बुटानी	1	2010-15	0.23
11.	पिल्लूखेड़ा	लुडानी	2	2000-15	0.78
		राजाना खुर्द	1	2010-15	0.09
		अलान जोगी	1	2000-05	0.36
12.	फारूखनगर	खडेवला	2	2009-10	2.32
		गढ़ीनाथी खान	1	2010-11	0.51
कुल			**65**	**-**	**23.06**

परिशिष्ट 6
(संदर्भः अनुच्छेद 4.1.2.1; पृष्ठ 20)
2011–16 के दौरान नगरपालिकाओं को अधिक (+) जारी की गई निधियों के ब्योरे

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल आधिक्य (+)
1	अंबाला	-16.88	-11.68	52.06	67.28	69.15	159.93
2	अटेली मंडी	-0.01	0.02	0.75	0.95	0.98	2.69
3	बहादुरगढ़	2.24	2.68	0.81	0.93	-0.39	6.27
4	बेरी	1.26	1.15	1.94	2.52	2.57	9.44
5	फिरोजपुर झिरखा	-0.59	-0.37	1.89	2.44	2.43	5.80
6	फरीदाबाद	279.53	235.55	228.88	296.23	309.09	1349.28
7	गन्नौर	-1.18	-0.76	1.15	1.46	1.29	1.96
8	गुड़गांव	136.82	114.40	189.35	245.25	258.24	944.06
9	हथीन	0.78	0.72	0.97	1.24	1.24	4.95
10	करनाल	55.06	47.38	-16.27	-21.37	-26.06	38.74
11	नंगल चौधरी	0.00	0.00	3.44	4.45	4.71	12.60
12	नारनौल	5.17	4.64	3.78	4.86	4.65	23.10
13	नूंह	-1.57	-1.22	1.06	1.36	1.35	0.98
14	पलवल	20.18	17.17	-9.28	-12.15	-14.22	1.70
15	पेहवा	1.65	1.57	2.24	2.87	2.80	11.13
16	पुन्हाना	8.69	7.29	4.83	6.25	6.57	33.63
17	समालखा	1.34	1.29	4.33	5.59	5.74	18.29
18	शाहबाद	3.24	2.89	3.76	4.85	4.91	19.65
19	सोनीपत	23.25	20.52	11.12	14.24	66.57	135.70
20	थानेसर	23.87	20.34	7.52	9.66	9.19	70.58
	कुल	**542.85**	**463.58**	**494.33**	**638.91**	**710.81**	**2,850.48**

2011–16 के दौरान नगरपालिकाओं को कम (–) जारी की गई निधियों के विवरण

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल कमी (–)
1	असंध	-9.77	-7.84	-4.23	-5.52	-6.18	-33.54
2	बराड़ा	0	0	0	0	-6.37	-6.37
3	बरवाला	-39.4	-31.99	-25.79	-33.53	-36.64	-167.35
4	बावल	-1.27	-0.97	0.25	0.32	0.2	-1.47
5	बवानीखेड़ा	-12.2	-9.85	-9.73	-12.65	-13.86	-58.29
6	भिवानी	-13.5	-9.92	-5.2	-6.89	-9.06	-44.57
7	भूना	0	-24.13	-10.06	-13.08	-14.37	-61.64
8	चरखीदादरी	-0.43	-0.06	0.08	0.06	-0.4	-0.75
9	चीका	-12.31	-9.85	-7	-9.11	-10.18	-48.45
10	धारूहेड़ा	-11.18	-9.03	0.54	0.69	0.49	-18.49
11	ऐलनाबाद	-12.54	-10.04	-6.47	-8.44	-9.42	-46.91
12	फारूखनगर	-8.52	-6.89	-4.88	-6.36	-6.98	-33.63
13	फतेहाबाद	-8.08	-6.21	-5.36	-7.01	-8.17	-34.83
14	घरौंडा	-6.9	-5.45	-1.42	-1.87	-2.34	-17.98
15	गोहाना	-10.67	-8.4	-4.15	-5.44	-6.42	-35.08
16	हेली मंडी	-6.62	-5.32	-4.24	-5.52	8.22	-13.48
17	हांसी	-12.73	-9.93	-5.33	-6.99	-8.27	-43.25
18	हिसार	27.08	24.35	-41.17	-53.71	-61	-104.45
19	होडल	-20.07	-16.15	-10.08	-13.14	-14.62	-74.06
20	इंद्री	-9.12	-7.36	-3.67	-4.77	-5.31	-30.23

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	कुल कमी (–)
21	झज्जर	-5.68	-4.39	-0.49	-0.66	-1.13	-12.35
22	जींद	-9.89	-7.18	0.06	-0.03	-1.41	-18.45
23	जुलाना	-10.69	-8.65	-5.27	-6.85	-7.57	-39.03
24	कैथल	-4.92	-3.24	-1.1	-1.53	-2.83	-13.62
25	कलानौर	-12.88	-10.41	-16.07	-20.89	-22.8	-83.05
26	कलांवली	-3.65	-2.82	-5.07	-6.6	-7.32	-25.46
27	कलायत	-3.44	-2.71	-3.49	-4.56	-5.06	-19.26
28	कनीना	-2.19	-1.72	0.67	0.87	0.83	-1.54
29	खरखोदा	-7.15	-5.75	-7.53	-9.74	-10.8	-40.97
30	लाडवा	-1.79	-1.31	-0.09	-0.15	-0.39	-3.73
31	लोहारू	-6.51	-5.24	-5.2	-6.78	-7.44	-31.17
32	मंडी डबवाली	-13.31	-10.54	-16.8	-21.84	-24.08	-86.57
33	महम	-4.54	-3.61	-2.25	-2.94	-3.35	-16.69
34	महेंद्रगढ़	-38.04	-30.95	-0.73	-0.95	-1.28	-71.95
35	नारायणगढ़	-9.25	-7.45	-5.2	-6.77	-7.51	-36.18
36	नारनौंद	-1.62	-1.22	-0.46	-0.61	-0.8	-4.71
37	नरवाना	-3.07	-2.18	-0.91	-1.24	-1.83	-9.23
38	नीलोखेड़ी	-5.95	-4.77	-5.54	-7.2	-7.94	-31.4
39	निसिंग	1.38	1.24	-6.34	-8.25	-9.07	-21.04
40	पंचकूला	-39.04	-30.6	-53.06	-69.17	-77.91	-269.78
41	पानीपत	60.07	51.37	-39.32	-51.52	-60.88	-40.28
42	पटौदी	-7.17	-5.75	-3.26	-4.32	-4.78	-25.28
43	पूंडरी	-9.88	-7.98	-1.42	-1.87	-2.27	-23.42
44	राजौंद	0	0	-8.17	-4.23	-4.36	-16.76
45	रानिया	-9.59	-7.7	-5.87	-7.63	-8.47	-39.26
46	रतिया	-24.26	-19.68	-12.51	-16.29	-17.92	-90.66
47	रेवाड़ी	-28.16	-22.35	-5.83	-7.67	-9.48	-73.49
48	रोहतक	-55.02	-42.45	-35.32	-46.23	-54	-233.02
49	सफीदों	-3.59	-2.75	0.16	0.18	-0.08	-6.08
50	सांपला	-6.47	-5.16	-1.08	-1.42	-1.7	-15.83
51	सिरसा	-27.28	-21.25	-22.24	-29.02	-32.89	-132.68
52	सिवानी	-9.73	-7.85	-7.76	-10.1	-11.09	-46.53
53	सोहना	-18.47	-14.9	-8.94	-11.63	-2.74	-56.68
54	तावडू	-2.17	-1.67	-4.96	-6.46	-7.16	-22.42
55	तरावड़ी	-7.12	-5.67	-5.18	-6.76	-7.53	-32.26
56	टोहाना	-31.58	-25.49	-20.69	-26.92	-29.67	-134.35
57	उचाना	0	0.09	-0.08	-0.11	-0.26	-0.36
58	उकलाना मंडी	0	-18.51	-8.51	-11.07	-12.13	-50.22
59	यमुनानगर	-11.97	-7.34	-20.57	-26.99	-33.03	-99.9
	कुल	**-542.85**	**-463.58**	**-494.33**	**-638.91**	**-710.81**	**-2,850.48**

परिशिष्ट 7
(संदर्भः अनुच्छेद 4.1.2.2 ; पृष्ठ 20)
जारी की गई निधि, व्यय तथा शेष के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिका का नाम	(₹ करोड़ में)			उपयोगिता प्रतिशतता
		जारी निधि	व्यय	शेष	
1.	बरवाला	108.94	63.67	45.27	58.45
2.	चीका	100.63	71.00	29.63	70.56
3.	धारूहेड़ा	71.14	0.47	70.67	0.66
4.	फरीदाबाद	3,521.20	1,354.36	2,166.84	38.46
5.	गुड़गांव	1,874.92	626.11	1,248.81	33.94
6.	हांसी	229.07	107.07	122.00	46.74
7.	हथीन	36.08	0.00	36.08	0.00
8.	कैथल	371.62	323.94	47.68	87.17
9.	कलायत	49.82	35.35	14.47	70.96
10.	लाडवा	72.99	19.10	53.89	26.17
11.	लोहारू	35.92	11.58	24.34	32.24
12.	नारनौल	193.33	130.90	62.43	67.71
13.	नरवाना	159.73	111.61	48.12	69.87
14.	नीलोखेड़ी	48.22	25.40	22.82	52.68
15.	पलवल	331.01	236.84	94.17	71.55
16	पेहवा	102.12	55.60	46.52	54.45
17.	पूंडरी	73.96	43.00	30.96	58.14
18.	पुन्हाना	70.93	51.82	19.11	73.05
19.	सफीदों	88.43	61.51	26.92	69.56
20.	समालखा	99.17	66.53	32.64	67.09
21.	शाहबाद	112.40	59.46	52.94	52.90
22.	सिरसा	482.84	344.64	138.20	71.38
23.	सिवानी	49.51	25.01	24.50	50.52
24.	सोनीपत	856.43	609.04	247.39	71.11
25.	उकलाना मंडी	35.35	3.63	31.72	10.27
कुल		**9,175.76**	**4,437.64**	**4,738.12**	**48.36**

(स्रोतः नगरपालिकाओं द्वारा आपूरित डाटा)

परिशिष्ट 8
(संदर्भः अनुच्छेद 4.1.3.1; पृष्ठ 21)

फरीदाबाद के नगरपालिका क्षेत्र में अनधिकृत क्षेत्र/कालोनी में निष्पादित विकास कार्यों के ब्योरे

क्र. सं.	कालोनी/वार्ड का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	भुगतान की तिथि
1	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में ए.सी. नगर के नाला के पास 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	7.90	06.02.2014
2	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12 की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	9.66	13.02.2014
3	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में ए.सी. नगर की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	9.13	13.02.2014
4	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में देना बैंक तथा सिंडीकेट बैंक, की गली में ए.सी. नगर क्षेत्र में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	2.84	05.09.2014
5	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में, ए.सी. नगर की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	7.89	20.11.2013
6	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12, ए.सी. नगर के नाला के पास 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	7.24	01.09.2014
7	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में ए.सी. नगर के नाला के पास 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	8.08	22.07.2014
8	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में ए.सी. नगर की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	5.39	20.11.2013
9	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 ए.सी. नगर में राम धर्मकांटा के सामने तथा डिलाइट होटल की पिछली ओर विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक एम.-35 ग्रेड पेविंग प्रदान करना एवं बिछाना	10.53	09.10.2014
10	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13, ए.सी. नगर में रघुनाथ मंदिर के पास विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक एम.-35 ग्रेड पेविंग टप्रदान करना एवं बिछाना	12.95	09.10.2014
11	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13	ए.सी. नगर, वार्ड सं.-13 में, मस्जिद वाली गली के पास विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर ब्लॉक एम-35 ग्रेड पेविंग तथा ड्रेन प्रदान करना एवं बिछाना	10.45	07.01.2015
12	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में ए.सी. नगर एन.आई.टी. फरीदाबाद, की विभिन्न गलियों में ड्रेन टाइप प्रथम तथा 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलों का प्रावधान करना	4.35	19.06.2013
13	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13	ए.सी. नगर, वार्ड सं. 13 में श्रम आयुक्त कार्यालय के पास वैश्य धर्मशाला के निकट विजय मेडीकल स्टोर से टैंकी, रामप्रताप से राम मिलन के घर के पास विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइलें 80 एम.एम. मोटी पेवर टाइलें एम. 35-ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	4.04	18.11.2015
14	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में इंदिरा नगर, की विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें एम-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	7.10	07.01.2015
15	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद के पास इंदिरा नगर की गली में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	8.27	22.07.2014
16	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 17	वार्ड सं. 17 में इंदिरा नगर, मिलहद कालोनी, कृष्णा कालोनी, रामनगर में सामुदायिक हाल का निर्माण	9.44	12.12.2014
17	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में यामाहा फैक्ट्री से रेलवे लाइन इंदिरा नगर तक जाने वाले ड्रेन टाईप 11 का निर्माण	4.31	10.02.2014
18	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में अल्फा फैक्ट्री के पास इंदिरा नगर की गली में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइल एम.-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	5.11	13.03.2014

क्र. सं.	कालोनी/वार्ड का नाम	कार्य का नाम	व्यय (₹ लाख में)	भुगतान की तिथि
19	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में विभिन्न स्थानों (इंदिरा नगर, संजय नगर, ए.सी. नगर मिलहद कालोनी) में 6'' डायबोर 4 मिनी ट्यूबवैल	4.00	20.01.2015
20	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में इंदिरा नगर, की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइलें 80 एम.एम. मोटी पेवर ब्लॉक एम.-35 ग्रेड पेविंग प्रदान करना एवं बिछाना	3.38	10.09.2014
21	इंदिरा नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में इंदिरा नगर, की विभिन्न गलियों में ड्रेन टाइप प्रथम का निर्माण तथा 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	3.89	17.07.2014
22	राम नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में रामनगर, कृष्णा नगर, ए.सी. नगर में विभिन्न स्थानों में 6 डायाबोर 4 मिनी ट्यूबवेल	4.22	16.02.2015
23	राम नगर, वार्ड सं. 12	वार्ड सं. 12 में रामनगर की विभिन्न गलियों में ड्रेन के साथ इंटरलॉकिंग टाइल्ज एम.-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	10.06	20.07.2015
24	राम नगर, वार्ड सं. 13	वार्ड सं. 13 में ट्रांसपोर्ट सड़क टयूबवेल तथा हनुमान मंदिर के मध्य रामनगर की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग टाइलें 60 एम.एम. मोटी पेवर टाइलें एम.-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	8.43	09.09.2015
25	नेहरू कॉलोनी, एन.आई.टी. फरीदाबाद में वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी एन.आई.टी. फरीदाबाद की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें एम-35 प्रदान करना एवं बिछाना	11.54	12.01.2015
26	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10, शिव मंदिर वाली गली, यादव वाली गली ब्हीलन सीमेंट तथा नेहरू कालोनी में निपटान के पास 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें एम-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	7.49	24.12.2013
27	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	1.64	27.09.2013
28	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	सुलभ शौचालय तथा बीसा वाली गली, नेहरू कालोनी, वार्ड सं. 10 में इंटरलॉकिंग टाइल्ज पेवर टाइलें एम-35 ग्रेड टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	8.32	03.10.2013
29	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	नेहरू कालोनी, वार्ड सं. 10 की विभिन्न गलियों में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	18.20	04.01.2013
30	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	नेहरू कालोनी, वार्ड सं. 10 जलेबी चौक के पास विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	5.73	18.09.2014
31	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी, की विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	6.49	19.07.2014
32	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	नेहरू कालोनी, वार्ड सं. 10 में मस्जिद के पीछे से बोध मंदिर तक 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग पेवर टाइलें एम-35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	9.10	03.10.2013
33	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी, डी.एच.बी.वी.एन. सब-स्टेशन के पास विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	6.63	31.07.2014
34	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी में म.सं. 1271 वाली गली में 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें तथा 35 ग्रेड प्रदान करना एवं बिछाना	9.46	28.03.2014
35	नेहरू कॉलोनी, वार्ड सं. 10	वार्ड सं. 10 में नेहरू कालोनी, की विभिन्न गलियों में ड्रेन टाइप प्रथम का निर्माण तथा 60 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	0.47	27.09.2013
36	धुवडेरा, वार्ड सं. 19	वार्ड सं. 19 धुवडेरा, में विभिन्न गलियों में 80 एम.एम. मोटी इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना एवं बिछाना	8.82	12.09.2014
37	वार्ड सं. 19 में गधा खोर डेरा	वार्ड सं. 19 में गधा खोर डेरा में डी.टी.एच. मशीन द्वारा 1 सं. टयूबवेल बोर का प्रावधान	5.52	15.07.2015
		कुल	**268.07**	

स्रोतः नगर निगम, फारीदाबाद द्वारा आपूरित कार्यसूची के आधार पर संकलित डाटा।

परिशिष्ट 9
(संदर्भः अनुच्छेद 4.1.3.2; पृष्ठ 21)
निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विलंब हेतु पेनल्टी के अनुदग्रहण के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्य/कार्य आदेश के आरंभ की तिथि	कार्य आदेश के अनुसार पूर्णता तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	दिनों में विलंब	देय पेनल्टी (₹ लाख में)
1.	फरीदाबाद	वार्ड सं. 13 में रामनगर की विभिन्न गलियों में इंटरलॉकिंग 60 एम.एम. मोटी पेवर ब्लॉक्स एम.-35 प्रदान करना एवं बिछाना	5.70	8.09.14	7.12.2014	8.09.2015	276	0.57
	फरीदाबाद	वार्ड सं. 12 तथा 13 में सीवरमैन के लिए उपस्थिति शैड का निर्माण	5.84	15.12.2013	14.02.2014	02.06.2014	109	0.58
2.	कैथल	पट्टी डोगर में खसरा सं. 152 तथा 151 में चारदीवारी का निर्माण	10.00	19.01.2011	18.03.2011	20.03.2012	367	1.00
	कैथल	वाल्मिकी चंचल गिरी आश्रम, वार्ड सं. 31 में किचन शेड का निर्माण	1.00	14.01.2013	28.02.2013	15.04.2013	45	0.10
	कैथल	जालंधरी मोहल्ला, वार्ड सं. 22 में आंगनवाडी केंद्र का निर्माण	2.42	10.02.2013	26.03.2013	31.07.2013	127	0.24
3.	सिरसा	वार्ड 21 स्कूल संख्या-4 वाली गली का निर्माण	10.00	20.08.12	19.10.12	06.01.13	79	1.00
	सिरसा	राजेश खंडेलवाल, एम.सी., पप्पु इंदौरा संजय कालोनी वार्ड सं.-28 में आई.पी.बी. गली का निर्माण	10.00	21.09.12	20.11.12	10.05.13	171	1.00
	सिरसा	चौ. कॉटन फैक्ट्री से शिव शंकर राइस मिल वार्ड सं. 31 तक सी.सी. गली का निर्माण	10.00	01.08.14	31.08.14	31.03.15	212	1.00

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ लाख में)	कार्य/कार्य आदेश के आरंभ की तिथि	कार्य आदेश के अनुसार पूर्णता तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	दिनों में विलंब	देय पेनल्टी (₹ लाख में)
4.	सोनीपत	गोहाना रोड़ से मलिक कालोनी वार्ड सं. 31 में नरेन्द्र (जे.ई.) तक गली का निर्माण	9.75	09.07.14	08.10.14	09.05.15	212	0.98
	सोनीपत	वार्ड सं. 29 में करनैल के घर से रामकुमार रोहिला के घर तक गली का निर्माण	9.90	02.12.14	02.03.15	30.06.15	120	0.99
	सोनीपत	वार्ड सं. 28 में हुकमचंद के मकान से वेद प्रकाश के मकान तक गली का निर्माण	5.00	02.12.14	02.03.15	10.05.15	69	0.50
	सोनीपत	विकास नगर से मालवीय नगर, वार्ड-29 में गली का निर्माण	10.00	02.12.14	02.03.15	30.05.15	89	1.00
		कुल	**89.61**					**8.96**

(स्रोतः नगरपालिकाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से संकलित डाटा)

परिशिष्ट 10
(संदर्भः अनुच्छेद 4.2.2.1; पृष्ठ 24)

2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान बजट अनुमान, वास्तविक वसूली तथा स्वयं की निधि की प्रतिशतता को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं	नगरपालिकाओं के नाम	बजट अनुमान					वास्तविक वसूली (प्रतिशतता)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1	पंचकूला	57.59	74.66	89.81	74.74	76.81	10.26 (18)	4.35 (06)	38.47 (43)	24.09 (32)	35.99 (47)
2	शाहबाद	5.26	5.66	6.46	6.59	6.92	2.57 (49)	2.10 (37)	3.17 (49)	1.18 (18)	1.27 (18)
3	पेहोवा	3.94	4.96	5.71	6.17	7.09	3.24 (82)	2.34 (47)	4.19 (73)	2.21 (36)	2.05 (29)
4	लाडवा	3.73	3.96	4.19	3.93	1.50	1.94 (52)	1.82 (46)	2.22 (53)	1.44 (37)	0.77 (51)
5	पूंडरी	0.92	1.42	1.51	1.67	1.73	1.10 (120)	0.77 (54)	0.67 (44)	1.33 (80)	1.03 (60)
6	निसिंग	0.62	0.79	0.91	1.04	0.91	0.43 (69)	0.74 (94)	0.59 (65)	0.26 (25)	0.56 (62)
7	कैथल	17.20	23.41	29.69	34.12	36.24	9.97 (58)	8.14 (35)	11.91 (40)	15.75 (46)	9.54 (26)
8	जींद	8.93	9.95	12.43	16.11	17.87	6.83 (76)	6.42 (65)	9.16 (74)	10.85 (67)	15.12 (85)
9	धारूहेड़ा	2.28	2.90	3.50	5.10	6.25	2.91 (128)	1.04 (36)	5.86 (167)	4.56 (89)	5.61 (90)
10	सांपला	5.29	6.13	3.30	7.34	9.37	6.09 (115)	4.59 (75)	1.27 (38)	5.49 (75)	9.37 (100)
11	बवानीखेड़ा	1.17	1.32	1.46	2.05	2.26	0.66	0.71	0.60	0.37	0.51

क्र. सं	नगरपालिकाओं के नाम	बजट अनुमान					वास्तविक वसूली (प्रतिशतता)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
							(56)	(54)	(41)	(18)	(23)
12	घरौंडा	2.81	2.93	3.04	3.85	5.83	1.83 (65)	1.87 (64)	1.70 (56)	1.84 (48)	2.11 (36)
13	कलांवाली	1.25	1.60	1.98	2.47	3.07	1.02 (82)	0.97 (61)	0.66 (33)	0.90 (36)	1.00 (33)
14	रानियां	1.71	1.81	2.09	2.64	2.78	0.98 (57)	1.91 (106)	1.34 (64)	0.85 (32)	1.15 (41)
15	बहादुरगढ़	20.78	21.14	26.62	26.62	27.03	15.08 (73)	18.53 (88)	16.80 (63)	17.63 (66)	19.40 (72)
16	झज्जर	6.71	6.45	7.69	8.96	9.22	4.57 (68)	4.48 (69)	13.98 (182)	6.48 (72)	4.34 (47)
17	महेन्द्रगढ़	5.86	6.40	7.09	7.76	8.62	3.55 (61)	3.55 (55)	4.44 (63)	3.52 (45)	2.46 (29)
18	फरीदाबाद	397.14	547.77	571.41	451.90	511.40	209.06 (53)	260.62 (48)	345.83 (61)	285.78 (63)	234.31 (46)
19	गुड़गांव	659.98	982.60	835.35	942.12	1216.74	331.69 (50)	438.08 (45)	378.93 (45)	186.20 (20)	546.40 (45)
20	पलवल	11.34	17.97	19.56	26.91	38.57	11.04 (97)	15.43 (97)	12.54 (70)	9.02 (46)	18.72 (49)
21	नारनौल	7.00	9.80	9.77	11.50	11.28	7.93 (113)	7.96 (81)	7.90 (81)	7.77 (68)	10.96 (97)
22	सिवानी	1.06	1.19	1.13	2.12	2.33	0.43 (41)	0.81 (68)	0.85 (75)	0.44 (21)	1.07 (46)
23	समालखा	3.61	4.38	4.67	5.85	8.36	2.99 (83)	3.69 (84)	3.40 (73)	4.76 (81)	5.29 (63)
कुल		**1226.18**	**1739.20**	**1649.37**	**1651.56**	**2012.18**	**636.17 (52)**	**790.92 (45)**	**866.48 (53)**	**592.72 (36)**	**929.03 (46)**

स्रोतः नगरपालिकाओं से प्राप्त डाटा से संकलित।

51

परिशिष्ट 11
(संदर्भः अनुच्छेद 4.2.2.2; पृष्ठ 24)
फायर टैक्स सहित संपत्ति कर की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	वसूलनीय राशि (बकाया+लक्ष्य)	वास्तव में वसूल की गई राशि	31 मार्च 2016 तक की बकाया राशि	बकाया की प्रतिशतता
		(₹ करोड़ में)			
1	पंचकूला	7.46	4.01	3.45	46
2	शाहबाद	1.90	1.17	0.73	38
3	पेहवा	2.96	0.31	2.65	90
4	लाडवा	0.45	0.31	0.14	31
5	पूंडरी	0.50	0.15	0.35	70
6	निसिंग	0.11	0.11	0.00	0
7	कैथल	13.04	1.58	11.46	88
8	जींद	3.67	1.77	1.90	52
9	धारूहेड़ा	9.81	0.02	9.79	100
10	सांपला	0.34	0.10	0.24	71
11	बवानीखेड़ा	0.18	0.03	0.15	83
12	घरौंडा	0.65	0.24	0.41	63
13	कलांवली	0.88	0.35	0.53	60
14	रानिया	0.48	0.18	0.30	63
15	बहादुरगढ़	2.56	0.99	1.57	61
16	झज्जर	4.73	0.45	4.28	90
17	महेंद्रगढ़	0.14	0.03	0.11	79
18	फरीदाबाद	316.08	41.67	274.41	87
19	गुड़गांव	557.00	385.22	171.78	31
20	पलवल	1.91	0.45	1.46	76
21	नारनौल	2.71	0.65	2.06	76
22	सिवानी	0.39	0.23	0.16	41
23	समालखा	1.18	0.51	0.67	46
	कुल	**929.13**	**440.53**	**488.60**	**53**

स्रोतः नगरपालिकाओं से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 12
(संदर्भः अनुच्छेद 4.2.2.4; पृष्ठ 26)

नगर निगम, पंचकुला द्वारा वाणिज्यिक गतिविधियों पर लाईसैंस फीस के अनुद्ग्रहण के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	वाणिज्यिक गतिविधियों के विवरण	इकाइयों की संख्या	लाईसैंस हेतु वार्षिक फीस की न्यूनतम दर (₹ में)	पांच वर्ष हेतु फीस की राशि (₹ लाख में)
1.	दुकानें	4,610	2,000	461.00
2.	उद्योग तथा संस्थान	750	3,000	112.50
3.	आवासीय–सह–वाणिज्यिक घर	698	1,000	34.90
4.	बैंक	24	2,000	2.40
5.	बार एवं रैस्टोरैंट	8	15,000	6.00
6.	अस्पताल तथा नर्सिंग होम्स	6	10,000	3.00
7.	पैट्रोल पंप	12	5,000	3.00
8.	थियेटर	2	10,000	1.00
9.	दो पहिया वाहनों के शोरूम	3	10,000	1.5
10.	चार पहिया वाहनों के शोरूम	3	15,000	2.25
कुल		**6,116**	**-**	**627.55**

परिशिष्ट 13
(संदर्भः अनुच्छेद 4.2.2.5; पृष्ठ 27)
विकास शुल्क की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं के नाम	कालोनी की संख्या	कुल निर्मित क्षेत्र (वर्ग गज में)	मूल्य प्रति वर्ग गज (₹ में)	वसूल की गई राशि (₹ करोड़ में)	वसूल की जाने वाली राशि (₹ करोड़ में)
1	नगरपालिका, पूंडरी	05	684618	30	0.44	1.61
2	नगरपालिका, निसिंग	05	353610.4	30	-	1.06
3	नगर परिषद्, कैथल	20	3380014	50	-	16.90
4	नगर परिषद्, जींद	60	4174742	50	-	20.87
5	नगरपालिका, धारूहेड़ा	09	399784	30	0.15	1.05
6	नगरपालिका, बवानीखेड़ा	02	21489.6	30	-	0.06
7	नगरपालिका, घरौंडा	03	43608.4	30	0.03	0.10
8	नगरपालिका, कलांवाली	01	246598	30	-	0.74
9	नगरपालिका, रानियां	10	436906.8	30	0.04	1.27
10	नगर परिषद्, बहादुरगढ़	26	945784.4	50	-	4.73
11	नगरपालिका, झज्जर	18	1733639.6	30	-	5.20
12	नगरपालिका, महेंद्रगढ़	06	424952	30	-	1.27
13	नगरपालिका, गुड़गांव	44	4199910	150	-	63.00
14	नगर परिषद्, पलवल	12	1932708.8	50	-	9.66
15	नगर परिषद्, नारनौल	04	106480	50	-	0.53
16	नगरपालिका, सिवानी	04	466285.6	30	-	1.40
17	नगरपालिका, समालखा	17	1028984	30	-	3.09
18	नगरपालिका, नरायणगढ़	09	493825.2	30	-	1.48
19	नगर निगम, यमुनानगर	16	816604.8	100	-	8.17
20	नगर निगम, करनाल	24	1435398.80	100	-	14.35
21	नगर परिषद्, फतेहाबाद	08	328297.20	50	-	1.64
22	नगर निगम, हिसार	38	1269725.60	100	-	12.70
23	नगर परिषद्, हांसी	22	388845.60	50	-	1.94
24	नगर परिषद्, होडल	05	247953.20	50	-	1.24
25	नगरपालिका, हथीन	08	1247897.20	30	-	3.74
कुल		**376**			**0.66**	**177.80**

टिप्पणीः नगर निगम, पंचकूला ने अनधिकृत कालोनी को नियमित नहीं किया था।
स्रोतः नगरपालिकाओं द्वारा आपूरित डाटा।

परिशिष्ट 14
(संदर्भः अनुच्छेद 4.2.2.6; पृष्ठ 27)

ए.टी.एम. के डिश–एंटीना के संस्थापन एवं संचालन फीस की अवसूली के ब्योरे दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिकाओं का नाम	अवधि	ए.टी.एम. की संख्या	वसूलनीय राशि		कुल
				संस्थापन प्रभार	संचालन फीस	
				(₹ लाख में)		
1	पंचकूला	2011-16	255	12.75	2.55	15.30
2	शाहबाद	2011-16	26	1.30	0.26	1.56
3	पेहवा	2011-16	22	1.10	0.22	1.32
4	लाडवा	2011-16	23	1.15	0.23	1.38
5	पूंडरी	2011-16	04	0.20	0.04	0.24
6	निसिंग	2011-16	09	0.45	0.09	0.54
7	कैथल	2011-16	50	2.50	0.50	3.00
8	धारूहेड़ा	2011-16	16	0.80	0.16	0.96
9	सांपला	2011-16	12	0.60	0.12	0.72
10	बवानीखेड़ा	2011-16	02	0.10	0.02	0.12
11	घरौंडा	2011-16	15	0.75	0.15	0.90
12	कलांवाली	2011-16	08	0.40	0.08	0.48
13	रानिया	2011-16	07	0.35	0.07	0.42
14	बहादुरगढ़	2011-16	31	1.55	0.31	1.86
15	झज्जर	2011-16	27	1.35	0.27	1.62
16	महेंद्रगढ़	2011-16	12	0.60	0.12	0.72
17	फरीदाबाद	2011-16	622	31.10	6.22	37.32
18	गुड़गांव	2011-16	401	20.05	4.01	24.06
19	पलवल	2011-16	54	2.70	0.54	3.24
20	नारनौल	2011-16	32	1.60	0.32	1.92
21	सिवानी	2011-16	08	0.40	0.08	0.48
22	समालखा	2011-16	24	1.20	0.24	1.44
23	यमुनानगर	2013-14	133	6.65	1.33	7.98
24	करनाल	2012-15	201	10.05	2.01	12.06
25	हिसार	2013-15	174	8.70	1.74	10.44
26	फतेहाबाद	2012-15	36	1.80	0.36	2.16
27	हांसी	2013-15	29	1.45	0.29	1.74
कुल			**2,233**	**111.65**	**22.33**	**133.98**

नोटः लेन–देन की लेखापरीक्षाः (i) यमुनानगर, (ii) करनाल, (iii) हिसार, (iv) फतेहाबाद तथा (v) हांसी।

स्रोतः बैंक प्राधिकारियों/नगरपालिकाओं से प्राप्त डाटा से संकलित।

परिशिष्ट 15
(संदर्भः अनुच्छेद 4.4; पृष्ठ 30)
एकत्र न किए गए सेवा-कर के ब्योरे

(राशि ₹ लाख में)

क्र. सं	यूनिट का नाम	अवधि	एकत्र न किए गए सेवा-कर	एम.सी. निधि में से जमा किया गया सेवा कर	एम.सी. निधि में से प्रदत्त ब्याज एवं पेनल्टी
1.	नगर परिषद, डबवाली	अप्रैल 2007 से मार्च 2013	15.15	15.15	5.89
2.	नगरपालिका, नूंह	फरवरी 2009 से मार्च 2015	9.10	-	0
3.	नगर परिषद, महेंद्रगढ़	अप्रैल 2011 से मार्च 2015	32.37	-	0
4.	नगरपालिका, फिरोजपुर झिरखा	जून 2007 से मार्च 2015	23.15	-	0
5.	नगरपालिका, सीवानी	-	0.11	0.11	0.27
6.	नगर परिषद, चरखी दादरी	जून 2007 से दिसम्बर 2012	25.74	10.13	0
7.	नगर परिषद्, कैथल	-	17.20	17.20	0
8.	नगर निगम, फरीदाबाद	अप्रैल 2014 से मार्च 2015	8.00	-	0
कुल			**130.82**	**42.59**	**6.16**

परिशिष्ट 16
(संदर्भः अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 30)

किराया प्राप्तियां तथा उनके विरूद्ध सेवा कर विभाग द्वारा काटे गए सेवा कर को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	अवधि	विज्ञापन एजेंसी	नगरपालिका द्वारा एकत्रित राशि (₹ लाख में)	सेवा कर[1] की दर (प्रतिशत में)	अधिनियम की धारा 87 के अंतर्गत निदेशन पर बैंक द्वारा डेबिट किए गए सेवा कर की राशि (₹ लाख में)
1.	27.08.2006 से 09.11.2006	मैसर्ज ए	7.03	12.24	0.86
2.	13.12.2006 से 20.04.2007	मैसर्ज बी	47.86	12.24	5.86
	18.06.2007 से 01.02.2008	मैसर्ज बी	40.49	12.36	5.01
3.	20.03.2008 से 26.03.2008	मैसर्ज सी	98.00	12.36	12.11
4.	01.01.2009 से 23.02.2009	मैसर्ज सी	16.33	12.36	2.02
	24.02.2009 से 30.09.2009	मैसर्ज सी	24.50	10.30	2.52
कुल			**234.21**		**28.38**

[1] 18 अप्रैल 2006 से 10 मई 2007 तक सेवा कर की दर 12.24 प्रतिशत थी, 11 मई 2007 से 23 फरवरी 2009 तक सेवा कर की दर 12.36 प्रतिशत थी तथा 24 फरवरी 2009 से 31 मार्च 2012 तक सेवा कर की दर 10.30 प्रतिशत थी।

परिशिष्ट 17
(संदर्भः अनुच्छेद 4.6; पृष्ठ 31)
भुगतान किए गए ई.पी.एफ. के नगरपालिका-वार अधिक भुगतान दर्शाती विवरणी

एम.सी. हांसी	मई से दिसंबर 2013 तक अर्थात् 8 माह के लिए				(राशि ₹ में)
विवरण (1)	दावा की गई/ भुगतान की गई दर (2)	राशि (3)	देय दर (4)	देय राशि (5)	अधिक भुगतान किया गया ई.पी.एफ. (6) = (3-5)
120 सफाई कर्मचारी	7,260	69,69,600	6,500	62,40,000	-
ई.पी.एफ.	**13.61%**	**9,48,563**	**13.61%**	**8,49,264**	**99,299**
एम.सी. हांसी	**जनवरी से अप्रैल 2014 तक अर्थात् 4 माह के लिए**				
120 सफाई कर्मचारी	8,100	38,88,000	6,500	31,20,000	-
ई.पी.एफ.	**13.61%**	**5,29,157**	**13.61%**	**4,24,632**	**1,04,525**
				कुल (ए)	**2,03,824**
एम.सी. हिसार	**अप्रैल 2013 से मार्च 2014 तक अर्थात् 12 माह के लिए**				**(राशि ₹ में)**
विवरण (1)	**दावा की गई/भुगतान की गई दर (2)**	**राशि (3)**	**देय दर (4)**	**देय राशि (5)**	**अधिक भुगतान किया गया ई.पी.एफ. (6) = (3-5)**
450 सफाई कर्मचारी	7,260	3,92,04,000	6,500	3,51,00,000	
10 सुपरवाईजर	9,064	10,87,680	6,500	7,80,000	
ई.पी.एफ.	**13.61%**	**54,83,698**	**13.61%**	**48,83,268**	**6,00,430**
एम.सी. हिसार	**अप्रैल 2014 से जून 2014 तक अर्थात् 3 माह के लिए**				
450 सफाई कर्मचारी	8,100	1,09,35,000	6,500	87,75,000	
10 सुपरवाईजर	9,064	2,71,920	6,500	1,95,000	
ई.पी.एफ.	**13.61%**	**15,25,262**	**13.61%**	**12,20,817**	**3,04,445**
				कुल (बी)	**9,04,875**
				सकल योग (ए+बी)	**11,08,699**

परिशिष्ट 18
(संदर्भः अनुच्छेद 4.8; पृष्ठ 34)
बोगस मस्टर रोल्ज पर संदेहपूर्ण भुगतान दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	कार्य का नाम	वोचर नंबर/ भुगतान की तिथि	भुगतान की गई मजदूरी (₹ में)
1.	सौरा मोहल्ला, रोहतक में कुम्हारन चौपाल का निर्माण	77/25.10.2010	18,207
2.	पुराना सदर थाना, रोहतक में कबीर धर्मशाला का निर्माण	82/09.11.2010	67,274
3.	धर्मवीर हेयर ड्रेसर की शॉप से चन्दन की शॉप तक तेज कालोनी, वार्ड नं. 7, रोहतक में इंटरलॉकिंग टाइलें प्रदान करना तथा बिछाना	85/15.11.2010	17,076
4.	अनिल मोटर से के.एस. दहिया वाली गली सुभाष रोड रोहतक भगवती चौक से कौहेली रोड ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड, रोहतक तक सी.सी. रोड का निर्माण	89/25.11.2010	3,910
5.	भगवती चौक से कौहेली रोड ओल्ड हाऊसिंग बोर्ड, रोहतक तक सी.सी. रोड का निर्माण	93/25.11.2010	1,365
6.	ताऊ नगर, रोहतक में रोहताश के घर से कादियान तक इंटरलॉकिंग प्रदान करना तथा बिछाना	97/01.12.2010	31,320
7.	रोहतक में रंगशाला/एम्यूजमेंट का विकास	114/23.01.2011	46,280
8.	रोहतक में रंगशाला/एम्यूजमेंट का विकास	115/23.01.2011	24,600
9.	जी.पी.एस. मेडीकल कॉलेज, रोहतक में किचन शेड का निर्माण	127/22.03.2011	26,170
10.	जी.पी.एस. मेडीकल कॉलेज, रोहतक में किचन शेड का निर्माण	139/23.3.2011	26,185
11.	जींद बाई-पास रोहतक के निकट राजपूत धर्मशाला का निर्माण	143/24.03.2011	34,506
12.	प्रेम नगर, रोहतक में गली नं. 15 में II टाईप ड्रेन का निर्माण	145/24.03.2011	8,535
13.	जी.एच.एस. शाकपुरा, रोहतक में खेल के मैदान के विकास सहित बाऊंडरी वॉल	54/31.03.2011	19,698
		कुल राशि	**3,25,126**

परिशिष्ट 19
(संदर्भः अनुच्छेद 4.9; पृष्ठ 34)
सहायता अनुदान निधियों के विपथन दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	नगरपालिका	स्कीम का नाम	व्यय की मद	विपथन की राशि (₹ लाख में)
1.	नगर निगम, फरीदाबाद	सी.एफ.सी.	वेतन, मजदूरी	700.33
2.	नगर निगम, हिसार	सी.एफ.सी.	वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी	91.93
3.	नगर परिषद्, मंडी डबवाली	वी.ए.टी. एवं सी.एफ.सी.	वेतन, भत्ते, लेखापरीक्षा फीस, छुट्टी नकदीकरण, वित्तीय सहायता तथा बीमा	152.56
4.	नगरपालिका, नूंह	वी.ए.टी.	वेतन, पी.एफ., बकाया, छुट्टी वेतन, पेंशन, चिकित्सा दावे	80.13
5.	नगरपालिका, सिवानी	वी.ए.टी.	वेतन, भत्ते, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रतिपूरक वित्तीय सहायता, चिकित्सा बिल	31.27
6.	नगरपालिका, भूना	एस.एफ.सी.	स्वच्छता स्टॉफ की मजदूरी	09.66
7.	नगरपालिका, बवानीखेड़ा	वी.ए.टी.	लेखापरीक्षा फीस, वेतन	94.39
		सी.एफ.सी.	वेतन, बकाया, जी.पी.एफ. तथा गेहूं अग्रिम	25.08
		एस.एफ.सी.	वेतन	01.20
कुल				**1,186.55**